FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0237 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 16/09/2025 18:22 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 03/09/2025 **Date To (दिनांक तक):** 11/09/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 09:00 बजे **Time To (समय तक):** 14:35 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/09/2025 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 16/09/2025 18:22:21 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 90 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** CITY JUBALI HALL LIBRARY TIRAHA AVAM, NAGAR PARISHAD DHOLPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** ABHISHEK KUMAR
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** HARIOM SHARMA
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1998 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	JAGDAMBA COLONY SAIPU ROAD, SAIPAU, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	JAGDAMBA COLONY SAIPU ROAD, SAIPAU, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ASHOK KUMAR SHARMA		पिता:GYARSI LAL SHARMA	1. GOAN BHOJAWARA,KOLWA,DAUSA,R
2	PRIYA KUMARI		पिता:BARHMANAND JHA	1. 419,KRISHANA COLONY BARI ROAD,BARI,DHOLPUR,RAJAST
3	HARENDRA GURJAR		पिता:DILIP GURJAR	1. KAMALA COLONY,NIHALGANJ,DHOLPUR,RAJASTHAN,INDIA
4	BHARAT PARMAR		पिता:RAJKUMAR PARMAR	1. DOCTOR VEENA GOYAL NURSING HOME KE PASS,PATPARA ROAD,DHOLPUR,DHOLPUR,RA
5	NEERAJ SHARMA		पिता:LET.JAGISH PARSAD SHARMA	1. SINCHAI VIBHAG KE SAMANE,KAMALA COLONY

				BARI ROAD,NIHALGANJ,DHOLPUR,R
6	DEVENDRA KUMAR SHARMA		पिता:RAMNIWAS SHARMA	1. GRAM VEERPUR POST BARIPURA,BASAI DANG,DHOLPUR,RAJASTHAN,I

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 3,10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर विषय- रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैं श्री अभिशेक कुमार पुत्र श्री हरिओम शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी जगदम्बा कोलोनी सैपऊ रोड धौलपुर का रहने वाला हूं मैने मेरी पत्नी के नाम से फर्म मानवी एसोसिऐट रजि. करा रखी है जिसका काम मैं स्वयं देखता हूं मैने पिछले वर्श सितम्बर 2024 में नगर परिषद धौलपुर द्वारा जारी कार्य आदेश पर पानी निकासी कार्य करवाया था जिसका भुगतान लगभग 38 लाख रूपये कटौती पश्चात नगर परिषद धौलपुर पर मेरा बनता है जिसमें से नगर परिषद धौलपुर द्वारा मुझे लगभग 25 लाख रूपये का भुगतान कर दिया है व करीब 13 लाख रूपये का भुगतान शेष है उक्त शेश भुगतान देने की एवज में नगर परिशद आयुक्त अशोक कुमार शर्मा द्वारा अपने ड्राईवर देवेन्द्र व नीरज शर्मा बाबू के मार्फत दो लाख सत्तर हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है जिसमें से 50 हजार रूपये भारत परमार कैशियर के लिये है जो चैक काटने के लिये हैं। एवं प्रिया झा एईएन भुगतान करवाने की एवज में व बिल को वेरिफाई करने की एवज में एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रही है। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारियों को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं मेरी उक्त कर्मचारियों से कोई रंजिश नहीं है। मैने उक्त कार्य में देवेन्द्र व परवारजनों के कुछ ट्रेक्टर किराये पर लिये थे जिनका भुगतान मैने कर दिया है कुछ भुगतान शेष है उक्त रिश्वत राशि का इस लेन देने से कोई सम्बंध नही है। उक्त रिश्वत राशि आयुक्त से मेरे भुगतान को दिलाने की एवज में मांगी जा रही है अन्य किसी से मेरा कोई लेन देन बकाया नहीं है। श्रीमान जी से निवेदन है कि कार्यवाही करने की कृपा करे। एस.डी. अभिषेक कुमार प्रार्थी अभिषेक कुमार पुत्र श्री हरिओम शर्मा पता जगदम्बा कोलोनी सैपउ रोड धौलपुर मो. एसडी अभिमन्यु 11.09.25, एसडी पवन शर्मा 11.09.25 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 03.09.2025 समय 09.00 एएम पर परिवादी श्री अभिशेक कुमार पुत्र श्री हरिओम शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी जगदम्बा कोलोनी सैपऊ रोड धौलपुर ने एक तहरीरी रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पदनाम मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को मय अपने आधार कार्ड की छाया प्रति एवं अपनी फर्म मानवी एसोसिऐट के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति तथा पानी निकासी कार्यादेश की प्रति के साथ इस आशय की पेश की कि मैं श्री अभिशेक कुमार पुत्र श्री हरिओम शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी जगदम्बा कोलोनी सैपऊ रोड धौलपुर का रहने वाला हूं मेरी पत्नी के नाम से फर्म मानवी एसोसिऐट रजिस्टर्ड करा रखी है जिसका काम मैं स्वयं देखता हूं मैने पिछले वर्श सितम्बर 2024 में नगर परिषद धौलपुर द्वारा जारी कार्य आदेश पर पानी निकासी कार्य करवाया था जिसका भुगतान लगभग 38 लाख रूपये कटौती पश्चात नगर परिषद धौलपुर पर मेरा बनता है जिसमें से नगर परिषद धौलपुर द्वारा मुझे लगभग 25 लाख रूपये का भुगतान कर दिया है व 13 लाख रूपये का भुगतान शेष है उक्त शेश भुगतान देने की एवज में नगर परिशद आयुक्त अशोक कुमार शर्मा द्वारा अपने ड्राईवर देवेन्द्र व नीरज शर्मा बाबू के मार्फत दो लाख सत्तर हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है जिसमें से 50 हजार

रूपये भारत परमार कैशियर के लिये है जो चैक काटने के लिये हैं। एवं प्रिया झा एईएन भुगतान करवाने की एवज में व बिल को वेरिफाई करने की एवज में एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रही है। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारियों को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं मेरी उक्त कर्मचारियों से कोई रंजिश नहीं है। मैने उक्त कार्य में देवेन्द्र व परवारजनों के कुछ ट्रेक्टर किराये पर लिये थे जिनका भुगतान मैने कर दिया है कुछ भुगतान शेष है उक्त रिश्वत राशि का इस लेन देने से कोई सम्बंध नही है। उक्त रिश्वत राशि आयुक्त से मेरे भुगतान को दिलाने की एवज में मांगी जा रही है अन्य किसी से मेरा कोई लेन देन बकाया नहीं है। श्रीमान जी से निवेदन है कि कार्यवाही करने की कृपा करे। उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मजीद दरियाफ्त की गयी तो परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरे स्वयं द्वारा हस्तलिखित है एवं इस पर मेरे हस्ताक्षर है आयुक्त अशोक कुमार शर्मा किसी भी संवेदक से सीधे तौर पर रिश्वत राशि की मांग नहीं करता है देवेन्द्र जो अग्निशमन में चालक है एवं कभी कभी आयुक्त के आदेश से उसके भी चालक का काम करता है । आयुक्त, देवेन्द्र कुमार के मार्फत और नीरज शर्मा के मार्फत रिश्वत राशि की मांग करता है। मेरे द्वारा किये गये कार्य का बिल व लॉगबुक को प्रिया झा एईएन द्वारा पूर्व में वेरीफिकेशन किया जा चुका है और अब अंतिम भुगतान से पहले हिसाब के नाम पर रिश्वत की मांग कर रही है। उक्त मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का प्रतीत होता है फिर भी विभागीय प्रक्रिया अनुसार रिश्वत मांग का गोपनीय रूप से सत्यापन कराया जाना आवश्यक है इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री गोकुलेश कानि0 454 को जरिये टेलीफोन निर्देशित किया कि आप अविलम्ब एसीबी चौकी भरतपुर से रवाना होकर धौलपुर पहुंच कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क करें। तत्पश्चात समय 12.30 पी.एम पर श्री गोकुलेश कानि0 454 मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एसीबी चौकी भरतपुर से रवाना होकर जगदीश तिराहा धोलपुर उपस्थित आया जिसका पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री अभिषेक कुमार से परिचय कराकर परिवादी द्वारा करायी जा रही ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास मौजूद विभागीय डिजीटल वाइस रिकार्ड मय एसडी कार्ड को परिवादी श्री अभिषेक कुमार को चालू व बन्द करने की विधि समझाई जाकर वाइस रिकार्डर को श्री गोकुलेश कानि0 454 को सुपुर्द किया जाकर हिदायत दी गयी कि परिवादी को आरोपी के पास भेजने से पूर्व वाइस रिकार्डर को चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करें एवं गोपनीय रूप से परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने व देखने का प्रयास करें तथा वार्ता के उपरान्त वाइस रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख कर बिना छेडछाड किये वापस आवे बाद हिदायत परिवादी श्री अभिषेक कुमार एवं श्री गोकुलेश कानि0 454 को आरोपीगणों से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराने हेतु नगर परिषद धौलपुर रवाना किया गया तत्पश्चात समय 2.00 पी.एम श्री गोकुलेश कानि0 454 मय परिवादी श्री अभिषेक कुमार के उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा वापस आया जिससे पूर्व में सुपुर्द शुदा वाईस रिकार्डर को प्राप्त किया गया। परिवादी ने बताया कि संदिग्ध आरोपीगणों से कोई वार्तालाप नहीं हो पायी है एवं आज उनसे रिश्वत मांग के सम्बंध में वार्ता होना संभव नहीं है इस पर परिवादी श्री अभिषेक कुमार को हिदायत दी गयी की जब भी आपको रिश्वत मांग वार्ता सम्बंधी संभावना प्रतीत हो तो मन अतिरक्ति पुलिस अधीक्षक को अवगत करावे बाद हिदायत परिवादी श्री अभिषेक शर्मा को रूखसत किया गया। तत्पश्चात समय 2.30 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री गोकुलेश कानि0 454 मय सरकारी लैपटॉप प्रिन्टर एवं वाइस रिकार्डर के अपनी निजी कार मे एसीबी चौकी भरतपुर के लिये रवाना होता हूं। तत्पश्चात समय 4.20 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री गोकुलेश कानि0 454 मय सरकारी लैपटॉप प्रिन्टर एवं वाईस रिकार्डर के अपनी निजी कार से उक्त फिकरा वाला का रवाना शुदा एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुंचा वॉइस रिकॉडर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 04.09.2025 समय 9.30 ए.एम पर परिवादी श्री अभिशेक कुमार ने बताया कि आज संदिग्ध आरोपीगणों से रिश्वत मांग सम्बंधी सत्यापन वार्ता हो सकती है इस पर श्री गोकुलेश कानि0 454 को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड को जरिये फर्द सुपुर्द किया जाकर हिदायत दी गई की आप धौलपुर पहुंच कर परिवादी श्री अभिशेक कुमार से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय रूप से सत्यापन करावें एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को समय समय पर अद्यतन करते रहें बाद हिदायत कानि0 गोकुलेश को रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 05.09.2025 समय 01.00 पी.एम पर श्री गोकुलेश कानि0 454 दिनांक 04.09.2025 का रवाना शुदा उपस्थित कार्यालय आया जिससे पूर्व में सुपुर्द शुदा वाईस रिकार्डर जरिये फर्द प्राप्त किया गया। श्री गोकुलेश कानि 454 ने बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार रवाना होकर दिनांक 04.09.2025 को धौलपुर पहुचा जहां मुझे परिवादी श्री अभिषेक कुमार उपस्थित मिला मैने और परिवादी ने संदिग्धों से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु काफी प्रयास किया किंतु परिवादी को ज्ञात हुआ कि संदिग्धो से आज रिश्वत सम्बंधी वार्ता नहीं हो पायेगी जिसके सम्बंध में मैने आपको जरिये टेलीफोन अवगत कराया था आपके निर्देशानुसार मै धौलपुर में ही अपनी पहचान छुपाते हुये मुकीम रहा आज दिनांक 05.09.2025 को सुबह मैने और परिवादी ने पुनः रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु प्रयास किया किन्तु संदिग्धों के अन्य राजकार्य में व्यस्त रहने से रिश्वत सम्बंधी कोई वार्ता नहीं हो पायी तत्पश्चात आपके निर्देशानुसार परिवादी को हिदायत देकर रूखसत कर धौलपुर से रवाना होकर उपस्थित कार्यालय आया। तत्पश्चात दिनांक 07.09.2025 समय 10.00 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 मय सरकारी लैपटॉप प्रिन्टर, डिजीटल वाइस रिकार्डर मय एसडी कार्ड को फोरमेट कर मय सरकारी गाडी बोलेरो के

परिवादी श्री अभिशेक कुमार बताये अनुसार संदिग्ध आरोपीगणों से रिश्वत मांग का गोपनीय रूप से सत्यापन कराने हेतु धौलपुर रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 7.00 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही मय सरकारी लैपटॉप प्रिन्टर, डिजीटल वाइस रिकार्डर मय एसडी कार्ड मय सरकारी गाडी बोलेरो के उपरोक्त फिकरा वाला का रवाना शुदा जगदीश तिराहा धौलपुर पहुंचा जहां परिवादी श्री अभिशेक कुमार उपस्थित मिला श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 व परिवादी का आपस में परिचय कराया जाकर परिवादी द्वारा करायी जा रही ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराया जाकर विभागीय डिजीटल वाइस रिकार्ड मय एसडी कार्ड को परिवादी श्री अभिषेक कुमार को चालू व बन्द करने की विधि समझाई जाकर वाइस रिकार्डर को श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 को सुपुर्द किया जाकर हिदायत दी गयी कि परिवादी को आरोपी के पास भेजने से पूर्व वाइस रिकार्डर को चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करें एवं गोपनीय रूप से परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने व देखने का प्रयास करें तथा वार्ता के उपरान्त वाइस रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख कर बिना छेडछाड किये वापस आवे बाद हिदायत परिवादी श्री अभिषेक कुमार एवं श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 को आरोपीगणों से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराने हेतु परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से आनन्द नगर धौलपुर रवाना किया गया तत्पश्चात समय 8.00 पीएम पर श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 मय परिवादी अभिषेक के उपरोक्त फिकरा वाला का रवाना शुदा वापस आया और बताया कि संदिग्ध आयुक्त अशोक कुमार शर्मा व नीरज शर्मा से परिवादी श्री अभिषेक कुमार की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के लिये मैने वाइस रिकार्ड को चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द किया परन्तु किन्ही कारण वश रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता रिकार्ड नहीं हो पायी क्योकि दोनो संदिग्ध अपनी विभाग की कार्यवाही को लेकर व्यस्त नजर आ रहे थे मौके से रवाना होकर वापस आये इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के सम्बंध में पूछा तो उसने श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 की बातों को ताईद किया और बताया कि कल दिनांक 08.09.2025 को संदिग्ध आरोपीगणों से रिश्वत मांग सत्यापन सम्बंधी वार्ता हो सकती है इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को कल दिनांक 08.09.2025 को सुबह 8 बजे उपस्थित आने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 08.09.2025 समय 8.00 एएम पर पूर्व मे पाबन्द शुदा परिवादी श्री अभिशेक कुमार उपस्थित आया जिसने बताया कि मुझे ज्ञात हुआ है कि आज आरोपीगण कार्यालय में ही उपस्थित रहेंगे और आयुक्त अशोक कुमार शर्मा कहीं बाहर जाने वाले है इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 को वाइस रिकार्डर मय एसडी कार्ड के सुपुर्द कर हिदायत दी कि आप परिवादी श्री अभिषेक के साथ संदिग्ध आयुक्त अशोक शर्मा के आवास पर जाकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करावे व वस्तुस्थिति से मुझे अवगत करावे बाद हिदायत श्री राजेन्द्र कानि0 106 व परिवादी अभिशेक कुमार को परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से आयुक्त के सरकारी आवास धौलपुर के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 10.55 ए.एम पर श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 ने जरिये टेलीफोन अवगत कराया कि संदिग्ध अशोक कुमार शर्मा आयुक्त नगर परिषद धौलपुर से परिवादी की उसके निवास पर शेष भुगतान सम्बंधी वार्तालाप हुई है किन्तु रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता नहीं हुई है और परिवादी को बाद में मिलने के लिये कहा है इस पर श्री राजेन्द्र सिह कानि0 को निर्देशित किया गया कि आप परिवादी को समझाते हुये अन्य संदिग्धो से रिश्वत मांग का गोपनीय रूप से सत्यापन करावे तथा बाद सत्यापन परिवादी को लेकर उपस्थित आवे। तत्पश्चात समय 12.15 पी.एम पर श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 मय परिवादी अभिशेक कुमार के वापस उपस्थित आया जिससे पूर्व में सुपुर्द शुदा वाइस रिकार्डर को प्राप्त किया गया परिवादी ने बताया कि मैं और श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 आपके पास से रवाना होकर संदिग्ध आयुक्त अशोक कुमार शर्मा के सरकारी आवास पर पहुंचे जहां श्री राजेन्द्र सिंह ने वाइस रिकार्डर को चालू कर अपना परिचय देकर मुझे सुपुर्द किया मेरी आयुक्त अशोक कुमार से मेरे शेश भुगतान के सम्बंध में वार्तालाप हुयी एवं रिश्वत राशि के सम्बंध मे कोई वार्तालाप नहीं हुयी तत्पश्चात आपके निर्देशानुमार मैं और राजेन्द्र कानि0 आयुक्त निवास से रवाना होकर नगर परिशद धौलपुर पहुंचे एवं अन्य संदिग्ध आरोपीगण के बारे में मालूमात करने के बाद पुनः श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 ने वाइस रिकार्डर को चालू कर अपना परिचय देकर मुझे सुपुर्द किया मैं वाइस रिकार्डर को लेकर नगर परिषद धौलपुर कार्यालय के अन्दर संदिग्ध एईएन प्रिया झा व कैशियर भारत से पृथक पृथक से रिश्वत मांग सम्बंधी वार्तालाप की, जिनको मेरे द्वारा विभागीय डिजीटल वाइस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया है बाद वार्तालाप मैं कार्यालय से बाहर आया जहां पर श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 ने मेरे से वाइस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया तत्पश्चात मैने बाहर आकर श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 को बताया कि एईएन प्रिया झा ने 70 हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई है एवं 60 हजार रूपये लेने पर सहमत हुयी है तथा कैशियर भारत से भी रिश्वत सम्बंधी वार्ता हुयी है इसके बाद रवाना होकर मय और राजेन्द्र सिंह कानि0 उपस्थित आपके पास आये है इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 से रिश्वत मांग सत्यापन सम्बंधी वार्ता के सम्बंध में पूछा तो श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 ने परिवादी की बातों की ताइद की तत्पश्चात डिजीटल वाइस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सरकारी लैपटॉप की सहायता से सुना गया तो रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता पाई गयी। इसके बाद परिवादी को हिदायत दी गयी एवं अन्य संदिग्धों पर नजर रखते हुये मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराने के निर्देश दिये गये बाद हिदायत परिवादी अभिशेक कुमार को रूखसत किया गया। वाइस रिकार्डर को अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात समय 01.00 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 मय सरकारी लैपटॉप प्रिन्टर एवं

वाइस रिकार्डर मय सरकारी बोलेरो के एसीबी चौकी भरतपुर के लिये रवाना होता हूं। तत्पश्चात समय 03.10 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 मय सरकारी लैपटॉप प्रिन्टर एवं वाईस रिकार्डर मय सरकारी गाडी बोलेरो के उक्त फिकरा वाला कर रवाना शुदा एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुंचा वाइस रिकार्डर मय एसडी कार्ड के कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 09.09.2025 समय 06.30 ए.एम पर परिवादी श्री अभिशेक कुमार ने जरिये टेलीफोन मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि मुझे ज्ञात हुआ है कि आज शेष संदिग्ध आरोपीगण नगर परिशद धौलपुर से रिश्वत मांग का सत्यापन होने की पूर्ण संभावना है इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने वाइस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी से निकालकर श्री गोकुलेश कानि0 454 व श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 को जरिये फर्द वाइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के एवं अन्य मैमोरी कार्ड को सुपुर्द कर दोनो को हिदायत दी गयी कि परिवादी को आरोपी के पास भेजने से पूर्व वाइस रिकार्डर को चालू कर सुपुर्द करें एवं गोपनीय रूप से परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने व देखने का प्रयास करें तथा वार्ता के उपरान्त वाइस रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख कर बिना छेडछाड किये वापस आवे बाद हिदायत दोनो कानिगणों को धौलपुर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 10.15 ए.एम पर श्री गोकुलेश कानि0 ने जरिये टेलीफोन अवगत कराया कि आपके निर्देशानुसार मैं और श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 एसीबी चौकी भरतपुर से रवाना होकर जगदीश तिराहा धौलपुर पहुंचे जहां परिवादी अभिशेक कुमार उपस्थित मिला तत्पश्चात परिवादी के मोबाईल से संदिग्ध आरोपी देवेन्द्र के मोबाईल पर कॉल कराया गया उक्त कॉल को लाउड स्पीकर पर करवाकर वाइस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया तत्पश्चात वाइस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर संदिग्ध देवेन्द्र कुमार से रिश्वत मांग का गोपनीय रूप से सत्यापन कराने हेतु रवाना किया गया कुछ समय पश्चात परिवादी अभिशेक कुमार वापस आया जिससे पूर्व में सुपुर्द शुदा वाइस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा परिवादी ने बताया कि देवेन्द्र शर्मा से बातचीत हो गयी है उसने मुझे दो लाख रूपये आयुक्त अशोक कुमार शर्मा के लिये व 50 हजार रूपये कैशियर के लिये तथा 20 हजार रसीद के लिये बोला मेरे निवेदन करने पर देवेन्द्र कुमार ने मुझसे 2 लाख रूपये आयुक्त के लिये व 50 हजार रूपये कैशियर के लिये कुल 2 लाख 50 हजार रूपये लेने पर सहमत हुआ है उक्त सभी वार्तालापों को मैने वाइस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से वार्तालाप की तो परिवादी ने कानि श्री गोकुलेश द्वारा बतायी गई बातों की ताईद की इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री गोकुलेश कानि0 को हिदायत दी कि आप और राजेन्द्र सिंह परिवादी के साथ रहकर अन्य संदिग्धों से रिश्वत मांग का सत्यापन कराने का प्रयास करें और यदि इसके बाद कोई सत्यापन वार्ता नहीं होती है तो आप वाइस रिकार्डर में से मैमोरी कार्ड निकालकर और वाइस रिकार्ड में नया मैमोरी कार्ड डालकर राजेन्द्र सिंह कानि0 को सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मैमोरी कार्ड को लेकर उपस्थित कार्यालय आवे। तत्पश्चात समय 11.15 पीएम - पर श्री गोकुलेश कानि0 454 मय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मैमोरी कार्ड जिसमें दिनांक 07, 08, 09/09/2025 की वार्ता रिकार्ड है, को लेकर उपस्थित कार्यालय आया उक्त मैमोरी कार्ड को कार्ड रीडर की सहायता से कार्यालय कम्प्यूटर में लगाया जाकर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आज दिनांक 09.09.2025 को परिवादी व आरोपी देवेन्द्र कुमार के मध्य हुई मोबाइल वार्ता व आमने सामने की वार्तालाप होना पाया गया मैमोरी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 10.09.2025 समय 06.00 ए.एम पर श्री गोकुलेश कानि0 को श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 की सहायतार्थ शेश संदिग्ध आरोपीगण से रिश्वत मांग सम्बंधी वार्तालाप हेतु धौलपुर रवाना किया गया और हिदायत दी गई कि कार्यवाही हाजा में होने वाली कार्यवाही से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अद्यतन करता रहे। तत्पश्चात समय 09.30 ए.एम पर श्री गोकुलेश कानि0 ने जरिये टेलीफोन अवगत कराया कि आपके निर्देशानुसार मैं एसीबी चौकी भरतपुर से रवाना होकर धौलपुर पहुंचा जहां मुझे श्री राजेन्द्र कानि0 व परिवादी उपस्थित मिला परिवादी को हमने वाइस रिकार्डर चालू कर आयुक्त के सरकारी निवास पर भेजा जहां पर देवेन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित मिला जिसमे परिवादी की वार्तालाप केवल देवेन्द्र कुमार से ही हो पायी आयुक्त से कोई वार्तालाप नहीं हो पायी। तत्पश्चात समय 09.55 ए.एम पर श्री गोकुलेश कानि0 ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये टेलीफोन अवगत कराया कि कुछ समय पश्चात परिवादी को वाइस रिकार्डर चालू कर देवेन्द्र कुमार के पास रिश्वत मांग सत्यापन हेतु भेजा तो परिवादी व आरोपी देवेन्द्र कुमार की रिश्वत सम्बंधी वार्तालाप हुई एवं अपने मोबाईल से देवेन्द्र कुमार ने नीरज शर्मा के मोबाईल पर लाउडस्पीकर पर कॉल किया गया और उससे भी परिवादी को आश्वासन दिलवाया कि वह आयुक्त साहब से बोलकर शेष भुगतान के चैक को जारी करवा देगा आदि वार्तालाप को परिवादी द्वारा वाइस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया गया इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री गोकुलेश कानि0 को निर्देश दिया कि आप वाइस रिकार्डर में से रिकार्ड वार्ताओं के मैमोरी कार्ड को निकाल कर उसमें नया मैमोरी कार्ड डालकर श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 को सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मैमोरी कार्ड को लेकर उपस्थित कार्यालय आवे। तत्पश्चात समय 01.30 पी.एम पर श्री गोकुलेश कानि0 मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आज दिनांक को हुई रिश्वत सम्बंधी वार्ता के मैमोरी कार्ड को लेकर उपस्थित कार्यालय आया जिसे कार्ड रीडर की सहायता से कार्यालय कम्प्यूटर में लगाकर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वत मांग सत्यापन सम्बंधी वार्ता होना पाया गया मैमोरी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखा गया। तत्पश्चात समय 02.00 पी.एम पर कार्यवाही हाजा में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने पर श्री देवेन्द्र कुमार कानि0 221 को संयुक्त

निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर के पद नाम तहरीर जारी कर श्री देवेन्द्र कुमार कानि0 221 को दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 04.00 पी.एम पर श्री देवेन्द्र कुमार कानि0 221 उपरोक्त फिकरा वाला का रवाना शुदा अपने साथ दो स्वतंत्र गवाहान को लेकर उपस्थित कार्यालय आया जिनसे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुये उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना अपना नाम क्रमशः श्री पवन कुमार शर्मा पु. श्री दयालचंद शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 45 वर्ष निवासी केशर विहार, जघीना गेट के सामने भरतपुर पुलिस थाना मथुरागेट भरतपुर हाल कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा भरतपुर व अभिमन्यु पुत्र श्री फगुनीराम जाति जाटव उम्र 55 साल निवासी वनखण्डी महादेव मन्दिर व नाले के पास तिलक नगर भरतपुर पुलिस थाना अटलबंद भरतपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर होना बताया कल दिनांक 11.09.2025 को सुबह 07 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात समय 04.35 पीएम - पर श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये टेलीफोन अवगत कराया कि परिवादी अभिशेक कुमार की आरोपीगण नीरज शर्मा , प्रिया झा कैशियर भारत से, परिवादी के शेश भुगतान व रिश्वत मांग संबंधी वार्तालाप हो गई है जिनको परिवादी द्वारा वॉईस रिकॉडर में रिकॉर्ड कर लिया है। इस पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 को हिदायत दी गई कि आप आज दिनांक को हुई रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता को वॉईस रिकॉडर मय मैमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखे। परिवादी को हिदायत दी गई कि आप रिश्वत राशि तीन लाख दस हजार रूपये का इन्तजाम करके रखे। श्री राजेन्द्र सिंह कानि को धौलपुर में ही अपनी गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर परिवादी के साथ ही कल दिनांक 11.09.2025 को धौलपुर में मिलने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात दिनांक 11.09.2025 समय 7.00 एएम- पर पूर्व से पाबन्दशुदा गवाह श्री अभिमन्यु एवं श्री पवन कुमार उपस्थित कार्यालय आये जिनको कार्यालय में बिठाया गया। ततपश्चात समय 08.00 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय के मालखाने से फिलाफ्थीन पाउडर की डिब्बा को निकालकर एक कपडे की थैली में रखकर श्री यशपाल कानि नं. 473 समलाकर श्री जोगेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक मय श्री रितेश कुमार कानि नं. 64 , श्री लोकेश कुमार कानि नं. 85 एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान , श्रीमति शगुन महिला कानि नं. 43 व मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक रोशन के आगे आगे रवाना कर उनके पीछे पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय श्री दिलीप िसह कानि नं.610, श्री विनोद सिंह कानि नं. 114, श्री परसराम कानि नं.203, श्री गोकुलेश कानि नं. 454 मय सरकारी ट्रेप बॉक्स ,लैपटॉप, प्रिन्टर, सरकारी विडियोग्राफी कैमरा, व मैमोरी कार्ड, सी.डी एवं अन्य संसाधन व अपने निजी कार से वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु धौलपुर रवाना होता हुं। और श्री सन्तोष कुमार हैडकानि को निर्देश दिये कि आप अपनी निजी कार को लेकर धौलपुर से पूर्व उपस्थित मिले। तत्पश्चात समय 09.25 एएम- पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय निजी एवं सरकारी वाहन के उपरौक्त फिकरा का रवानाशुदा परिवादी द्वारा बताये गये स्थान धौलपुर से कुछ दूरी पूर्व पहुंचा जंहा पर परिवादी श्री अभिषेक कुमार व श्री राजेन्द्र कानि. उपस्थित मिले। श्री राजेन्द्र कानि से सुपुर्दशुदा वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर उसमें से मैमोरी कार्ड को निकालकर सुरक्षित अपने पास रखा तत्पश्चात दोनो स्वंतत्र गवाहान व परिवादी का आपस में परिचय कराया जाकर परिवादी द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराते हुये परिवादी द्वारा पेश लिखित तहरीर रिपोर्ट को दोनो गवाहो को पढवाया गया। दोनो गवाहो से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने की स्वीकृति चाही गई तो दोनो गवाहो ने मौखिक स्वीकृति दी तथा प्रमाण स्वरूप अपने अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद परिवादी अभिषेक से रिश्वत राशि के संबध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि मै रिश्वत राशि 3 लाख 10 हजार रूपये की व्यवस्था कर लाया हुं। तत्पश्चात समय 09.35 ए.एम - पर दोनो गवाहों के समक्ष मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री अभिषेक कुमार पुत्र श्री हरिओम शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 27 साल निवासी जगदम्बा कोलोनी सैंपऊ रोड धौलपुर पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर से आरोपी गणों को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 620 नोट (छः सौ बीस) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 3,10,000/-(तीन लाख 10 हजार) रूपये अपने पास से निकालकर मन अति. पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिसमें से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 के नोटो का विवरण निम्न प्रकार है:- आयुक्त अशोक कुमार शर्मा नगर परिषद धौलपुर के नाम मे आयुक्त के ड्राइवर देवेन्द्र कुमार शर्मा को दी जाने वाली रिश्वत राशि जिनमें पांच-पांच सौ रूपये की 181 नोटो की एक गड्डी व 119 नोटो की एक गड्डी एवं 100 नोटों की एक गड्डी कुल नोट 400 का विवरण निम्नानुसार है। 1ET394224, 4LL378040, 4MP509475, 8UL042243, 5AK416546, 3NG901522, 5GM499818, 4PN684320, 7FK273440, 1VM964774, 9QP419290, 8HV523285, 8HG557798, 1PV580520, 1VK521747, 7TW689850, 5UC100809, 5EU629734, 7EN395798, 0LD958141, 5GA172362, 5AD833252, 5MT583775, 0FW425757, 1PK851187, 5NE979551, 1FS856533, 0HG565110, 3BT365633, 0ME196974, 6KU704379, 6KU704491, 4VB182580, 3RW860360, 1LV194904, 0MT996663, 2CM138222, 4UW357879, 2CM138221, 7VK692537, 2VL869655, 5HW279454, 9MU553462,

4LB343805, 9FR351297, 6EM850598, 0TB255838, 6WP469947, 3RN087934, 2RK786637, 6BN538274, 1SP090185, 1BP726919, 9DQ278958, 4GC591896, 4CM812181, 7FT025663, 5AP037425, 2TF424626, 6CE608049, 0NG814435, 3AK674664, 7AN542026, 2BV620916, 3CC234065, 9RD541332, 8BP837228, 6SB718429, 2KU761913, 9LK900899, 9RR891656, 7LU688518, 2TW415964, 2SL194655, 9PM655009, 1AE818154, 9QW930568, 4RL031820, 9UN176271, 1SV402262, 1NH848992, 7TV935767, 5DS194322, 1PA107811, 7HL558648, 1KC330588, 2KU147115, 7CN049029, 3WV102469, 3SD689907, 1RL309418, 0GG058565, 0RD088597, 5UH910496, 3WB882710, 0MP194517, 4QG085569, 5HG963356, 6MC320133, 8AG409857, 6CM393412, 3CK415679, 1AQ630648, 0HF778918, 2BA332764, 5AS214978, 5DC864062, 1MK468354, 5AS015986, 2QD065211, 8ED009922, 7DW963544, 6BN713027, 8HH921173, 0FE848434, 2RC674167, 2WT322041, 9RA242711, 6HS692268, 9HN542680, 3GC457852, 2TU232651, 4RQ858011, 4UV231452, 3UE633612, 8BU744130, 2NS210314, 3LQ150185, 9BA180863, 9BA180864, 9BA180865, 9BA180866, 1SS263969, 6AK468981, 7HK191270, 3GV142822, 0DQ738904, 1DV293780, 6WK487090, 9PQ682962, 4EH212132, 6RV903448, 8ED875892, 6VU865218, 4FM887788, 3KW454908, 7DS759196, 6TU799714, 2KE512438, 9EA887695, 5UU724847, 5UU724846, 5UU724845, 5UU724844, 3SN755402, 3SN755461, 3SN755458, 5EF607364, 7MW167829, 5EF607353, 5EF607352, 5EF607386 9UW789156, 9UW789159, 1EK387916, 1EK387917, 1EK387901, 5UU724842, 5UU724843, 4KE623524, 2SS843939, 5HN884259, 4TQ344782, 8LE168992, 9KS869543, 8EB028043, 4SN924742, 4GE712594, 0DB087301, 7UH289807, 5TP646038, 3EF419909, 6HE561752, 8ER940116, 1LQ738091, 6GG349570, 2NP428368, 8DB923993, 9ET049314, 0SL093828, 0CR427350, 8ET309090, 2PC148174, 2EM852290, 8BU367763, 6CU651958, 4TQ343600, 4TQ343601, 4TQ343602, 4TQ343603, 4TQ343608, 4TQ343609, 3NH561317, 3KC220426, 5UU724848, 5UU724849, 9ME137788, 5UU724853, 5UW400599, 5UW400600, 2LG630465, 0HH636859, 0HH636858, 3HH096751, 3HH096750, 3HH096748, 9ME137767, 9ME137769, 5UW400605, 5GK703451, 5GK703452, 5GK703453, 5GK703454, 5GK703455, 5GK703456, 5GK703457, 5GK703458, 5GK703459, 5GK703460, 5GK703461, 5GK703462, 5GK703463, 5GK703464, 5GK703465, 5GK703466, 5GK703467, 5GK703468, 5GK703469, 5GK703470, 5GK703471, 5GK703472, 5GK703473, 5GK703474, 5GK703475, 5GK703476, 5GK703477, 5GK703478, 5GK703479, 5GK703480, 5GK703481, 5GK703482, 5GK703483, 5GK703484, 5GK703485, 5GK703486, 5GK703487, 5GK703488, 5GK725906, 5GK725907, 5GK725908, 5GK725909, 5GK725910, 5GK725911, 5GK725912, 5GK725913, 8EC164819, 8EC164820, 8EC164821, 8EC164822, 8EC164823, 8EC164824, 8EC164825, 8EC164826, 8EC164827, 8EC164828, 8EC164829, 8EC164830, 8EC164831, 8EC164832, 8EC164833, 8EC164834, 8EC164835, 8EC164836, 8EC164837, 8EC164838, 8EC164839, 8EC164840, 8EC164841, 8EC164842, 8EC164843, 8EC164844, 8EC164845, 8EC164846, 8EC164847, 8EC164848, 8EC164849, 8EC164850, 8EC164852, 8EC164872, 8EC164873, 8EC164874, 8EC164875, 8EC164876, 8EC164877, 8DQ292769, 7DG287840, 6SK861355, 1FA714502, 5QD234518, 7DM006471, 0RB133557, 5PF978300, 8CM417288, 0PA661720, 1VD187375, 8CM417293, 8EC164851, 1UK847471, 9BA648347, 1RN247512, 0ED854452, 0VC819193, 3FH427719, 3LB151357, 4RE814737, 6EK240373, 1GK460091, 3WC695368, 9LM062391, 4KP177758, 9SE520852, 2DA501248, 9AW080649, 8EC041603, 0UB820334, 3NL405507, 2BF843240, 8UR048754, 8AL777087, 7CF511654, 2CL525284, 2FR221502, 6VL445258, 0MW252153, 6EH835650, 4CN220098, 3DQ111467, 0ST176637, 9NP397034, 1HA931039, 3TD496284, 8UB548908, 8EC032050, 8WP565664, 4UD819458, 9HK895705, 7KP676872, 3HF637129, 3WL607454, 3HW667283, 2DH127073, 7HL473850, 5PC501241, 7BM722222, 2BU889554, 7WV904620, 8PV761827, 0BP561069, 5PL179932, 0GT603572, 0NW189725, 4HP003391, 8DV069458, 6FH881587, 2NP960373, 3BQ439385, 6QF437263, 2GH312678, 0TK383486,

4DR510574, 3KC379510, 4TQ944067, 3HP813552, 8AH474898, 1EV715784, 3BT828497, 5SD464345, 4CP493695, 8AH474899, 5DF771868, 4BH578914, 2FG918359, 2BL844386, 7RK125727, 4CK139913, 3BD275121, 2FV160126, 1AD937654, 8VV289454, 0CU942476, आरोपिता प्रिया झा एईएन को दी जाने वाली रिश्वत राशि 60 हजार रूपये रिश्वत राशि जिनमें पांच-पांच सौ रूपये की 120 नोटो का विवरण निम्नानुसार है। 3EW045574, 2TL727529, 7GW001305, 8AG763040, 6QK896697, 3VF121589, 1VW594829, 6RT624570, 7NF255804, 2VU456798, 3ST229361, 4RC792904, 6KQ991010, 2BH719111, 0PT741330, 0KQ297815, 1HN269528, 3QN873660, 9TT547515, 9FV430218, 0RQ772462, 4KD536372, 1DB304959, 2CM762901, 9RK210043, 5RM461184, 7VM779473, 6NH430805, 4KB168046, 1KW165783, 1KP236095, 7SM775227, 9PU251939, 5UF113588, 7NM906522, 2CA120773, 4AU509946, 9EC208438, 3VL400520, 7QB230718, 9EC221797, 2DR225038, 9EN022986, 3QF037615, 6CM340016, 9BE892563, 7PB188451, 6BE331036, 8QM144592, 0EM145822, 9GM424730, 3KM708463, 7VT747323, 3RN873001, 5PM542720, 8VT356929, 0NT337452, 8PG761358, 2KB996081, 1ML083769, 6QS318820, 2WN407937, 0EQ827394, 0EQ827395, 0EQ827396, 0EQ827397, 0EQ827398, 0EQ827399, 0EQ827391, 9RB343367, 1NW811454, 4TQ062425, 4TQ062426, 4TQ062427, 4TQ062428, 4TQ062429, 4TQ062430, 3WK164232, 2KD187006, 5GK286748, 8EC695959, 8EC695960, 5FQ984616, 0CQ121740, 5LH992903, 8CR017254, 0CQ486979, 6RT575367, 8NS064741, 2UA790755, 6RS252400, 1DL594318, 8BT651899, 9KV128205, 3FB232980, 5PD211451, 6EE486535, 8WC495405, 7CF109301, 4PE313075, 2LG630450, 2LG630451, 2LG630452, 2LG630453, 2LG630454, 5UW144150, 5UW144151, 2AS227673, 6BV722388, 4GB079981, 8RS780220, 4CG340120, 0EQ827393, 7VU279928, 1PA274696, 2CM392032, 9FU963807, 9KC562558, 5ES381566, 6MV598820 भारत परमार कैशियर को दी जाने वाली कुल 50 हजार रूपये रिश्वत जिनमें पांच-पांच सौ रूपये के 100 नोटो का विवरण निम्नानुसार है। 3NW641541, 3NW641542, 3NW641543, 3NW641544, 3NW641545, 3NW641546, 3NW641547, 3NW641548, 3NW641549, 3NW641550, 3NW641551, 3NW641552, 3NW641553, 3NW641554, 3NW641555, 3NW641556, 3NW641557, 3NW641558, 3NW641559, 3NW641560, 3NW641561, 3NW641562, 3NW641563, 3NW641564, 3NW641565, 3NW641566, 3NW641567, 3NW641568, 3NW641569, 3NW641570, 3NW641571, 3NW641572, 3NW641573, 3NW641574, 3NW641575, 3NW641576, 3NW641577, 3NW641578, 3NW641579, 3NW641580, 3NW641581, 3NW641582, 3NW641583, 3NW641584, 3NW641585, 3NW641586, 3NW641587, 3NW641588, 3NW641589, 3NW641590, 3NW641591, 3NW641592, 3NW641593, 3NW641594, 3NW641595, 3NW641596, 3NW641597, 3NW641600, 2AS227660, 2AS227661, 2AS227662, 2AS227663, 2AS227664, 2MW134737, 2MW134738, 2MW134740, 9ME137764, 9ME137772, 9ME137742, 9ME137781, 9ME137709, 3AF344508, 1EK135704, 5UW400606, 2LG630455, 5UU724868, 5UW400592, 4KC658099, 9NP227192, 2MW134741, 5UU724735, 5SA884303, 5TP306844, 2CK858696, 9KV603296, 8EP919708, 1SP206391, 8MP314471, 1HS710906, 8MP314469, 4RC086233, 7PG080971, 8GQ324860, 6AR639584, 8ND861242, 2NH329693, 1PR716280, 3CN412006, 3NW641507, 6BN674250 उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री यशपाल कानि. नं. 473 से अपने पास में रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बे मंगवाया जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों (कुल 620 नोटों) पर श्री यशपाल सिंह कानि. से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री अभिषेक कुमार की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह पवन कुमार से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 400 नोट (चार सौ) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल राशि 2,00,000/-(दो लाख) रूपये की कुल तीन गड्डी जिनमें एक गड्डी 181 नोटों की , 119 नोटों की एक गड्डी एवं 100 नोटों की एक गड्डी कुल तीन गड्डी जो आयुक्त अशोक कुमार शर्मा के नाम से आयुक्त के ड्राइवर देवेन्द्र कुमार शर्मा को दिये जाने है एवं 500-500 के 120 नोटों की एक गड्डी कुल 60,000 रूपये जो एईएन प्रिया झा को दिये जाने थे एवं 500-500 रूपये के 100 नोट कुल 50 हजार रूपये जो कैशियर भारत परमार को दिये जाने हैं । परिवादी ने बताया कि देवेन्द्र ड्राइवर अक्सर मेरी गाडी में बैठकर ही बात करता है और मेरी गाडी में ही रिश्वत राशि ले लेगा जिस पर आयुक्त के

ड्राइवर देवेन्द्र कुमार शर्मा को दिये जाने वाली रिश्वत राशि को श्री यशपाल कानि. द्वारा परिवादी की गाडी के डैशबोर्ड में रखवाकर परिवादी अभिषेक कुमार को हिदायत दी गई कि ड्राइवर देवेन्द्र कुमार शर्मा के मांगने पर उक्त राशि आरोपी ड्राइवर देवेन्द्र कुमार शर्मा को सुपुर्द करे एवं रिश्वत राशि से अनावश्यक हाथ नही लगावे , गाडी के इंडीकेटर चालू कर रिश्वत राशि स्वीकृति का इशारा करे एवं श्री यशपाल कानि द्वारा प्रिया झा को दी जाने वाली रिश्वत राशि को परिवादी के पहने हुए पेंट की सामने की दांये जेब में रखवाकर एवं कैशियर भारत परमार को दी जाने वाली राशि को परिवादी के पहने हुए पेंट की सामने की बांयी जेब में रखवाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपीगणो द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर रिश्वत राशि प्राप्त करने का अपनी पहनी हुई शर्ट की कॉलर को ऊपर करके या फोन कर मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री अभिमन्यु से सरकारी गाडी में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री यशपाल कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर के डिब्बे को बंद ढक्कन कराकर श्री यशपाल कानि0 को संभलाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर उसे चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री यशपाल कानि0 को फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बे को साथ लेकर बाद हिदायत रवाना एसीबी चौकी भरतपुर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 11.00 ए.एम इस समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, टीम सदस्यों मय प्राईवेट एवं निजी वाहनों, सरकारी लैपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स, के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु नगर परिषद धौलपुर रवाना होता हूं। तत्पश्चात समय 11.25 ए.एम - पर मन अतिरिक्त पुलिस मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाह, परिवादी, टीम सदस्यों मय प्राईवेट एवं निजी वाहनों, सरकारी लैपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स, के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा नगर परिषद धौलपुर कार्यालय के पास पहुंचा एवं परिवादी से आरोपी देवेन्द्र कुमार के मोबाईल पर कॉल करवाकर कॉल को लाउडस्पीकर पर वाइस रिकार्डर मे ंरिकार्ड किया गया कॉल पर देवेन्द्र ने बताया कि मैं आयुक्त साहब के घर में कोई कीडा निकल आया है आने में थोडा समय लगेगा। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नगर परिषद धौलपुर से रवाना होकर अपनी पहचान छुपाते हुये अन्य स्थान पर पहुंचा आरोपी देवेन्द्र के कॉल का इन्तजार करें। तत्पश्चात समय 12.23 पी.एम - पर आरोपी देवेन्द्र कुमार का परिवादी के मोबाईल पर कॉल आया कॉल को लाउडस्पीकर पर कर वाइस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया जिसमें आरोपी ने परिवादी को बुलाने के लिये कहा। तत्पश्चात समय 12.41 पी.एम पर आरोपी देवेन्द्र कुमार का परिवादी के मोबाईल पर कॉल आया कॉल को लाउडस्पीकर पर कर वाइस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया जिसमें आरोपी ने परिवादी को बुलाने के लिये कहा। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान, परिवादी, स्वतंत्र गवाह, टीम सदस्य सरकारी लैपटॉप, प्रिन्टर, वीडियों कैमरा, मय सरकारी व निजी वाहनों के मौके से नगर परिषद धौलपुर के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 1.50 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान, परिवादी, स्वतंत्र गवाह, टीम सदस्य सरकारी लैपटॉप, प्रिन्टर, वीडियों कैमरा, मय सरकारी व निजी वाहनों के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा नगर परिषद धौलपुर कार्यालय के पास पहुंचा जहां पर वाहनों को साइड में खडा कर परिवादी को आरोपीगणों से मिलने हेतु नगर परिषद धौलपुर कार्यालय रवाना किया जाकर उसके पीछे पीछे श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 व श्रीमति कुमारी शगुन म.कानि. व दिलीप कानि0 को रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शेष सदस्यों व स्वतंत्र गवाहों के नगर परिषद कार्यालय के आसपास अपनी पहचान छुपाते हुये मुकीम रहा। परिवादी के नियत ईशारे का इन्तजार है। तत्पश्चात समय 02.15 पीएम पर परिवादी नगर परिषद कार्यालय से एक व्यक्ति बाहर आया। परिवादी की गाडी में बैठ गये परिवादी गाडी को लेकर सिटी जुवली हॉल चौराहे की तरफ चलने लगा उसके पीछे-पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही स्वतंत्र गवाह, टीम सदस्य सरकारी लैपटॉप, प्रिन्टर, वीडियों कैमरा, मय सरकारी व निजी वाहनों के रवाना हुआ कुछ समय चलने के बाद परिवादी ने अपनी गाडी दर्शन हास्पीटल के पास रोक दी उसके पीछे ही मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने वाहनों को रूकबा दिया और परिवादी के नियत ईशारे का इन्तजार है। तत्पश्चात

समय 02.35 पी.एम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को परिवादी श्री अभिषेक कुमार के नियत ईशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान एवं जाप्ता के परिवादी की निजी कार के पास पहुंचा एवं परिवादी से पूर्व में सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा तत्पश्चात परिवादी ने पास में बैठे हुए व्यक्ति की ओर इशारा कर बताया कि यह देवेन्द्र कुमार शर्मा है जिन्होने अभी अभी मेरे से दो लाख रूपये अपने दोनो हाथों से गिनकर अपने पास रख लिये हैं। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी के पास बैठे हुए व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामनिवास शर्मा उम्र 35 साल निवासी ग्राम वीरपुर पोस्ट बरीपुरा पुलिस थाना बसई डांग जिला धौलपुर हाल ड्राइवर कम पम्प ऑपरेटर अग्निशमन कार्यालय धौलपुर अतिरिक्त चार्ज सहायक मैकेनिकल नगर परिषद धौलपुर होना बताया इस पर देवेन्द्र कुमार शर्मा से परिवादी से रिश्वत राशि दो लाख रूपये के सम्बंध में पूछा तो बताया कि मैने कोई रिश्वत राशि नही ली है ये मेरे कार्य के पैसे हैं जो अभी मैंने इससे गिनकर लिये हैं। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रिश्वत राशि दो लाख रूपये को गवाह श्री अभिमन्यु से रिश्वत राशि को उठवाया जाकर गवाह के पास ही सुरक्षित रखवाये गये एवं देवेन्द्र कुमार शर्मा को डिटेन किया जाकर परिवादी की कार से बाहर निकालकर उसके हाथों को कलाइयों के ऊपर से श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक ने दांया हाथ एवं बायां हाथ श्री जोगेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक से पकडवाया जाकर सरकारी बोलेरो गाडी में बिठाया गया। कार्यवाही हाजा में अन्य संदिग्ध को भी रिश्वत राशि देना आवश्यक है एवं उनसे परिवादी से सम्बंधित कार्य के सम्बंध में वार्तालाप की भी आवश्यकता होने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहान मय टीम के मौके से रवाना होकर नगर परिषद धौलपुर कार्यालय के पास पहुंचा जहां पर वाहनों को साइड में खडा कर परिवादी को पुनः वॉइस रिकॉर्डर सुपुर्द कर अन्य आरोपीगणो से वार्तालाप करने एवं शेष रिश्वत राशि 1 लाख 10 हजार रूपये को देने हेतु मुकर्रर इशारा बताकर बाद हिदायत नगर परिषद धौलपुर रवाना किया गया। उसके पीछे-पीछे श्री दिलीप कुमार कानि. , श्री राजेन्द्र सिंह कानि. , श्रीमती शगुन महिला कानि. को रवाना किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष टीम के अपनी उपस्थिति छुपाते हुए कार्यालय नगर परिषद धौलपुर के आसपास खडा हो गया। कुछ समय पश्चात परिवादी की नियत इशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नगर परिषद धौलपुर के मुख्य गेट से प्रवेश करते हुए सीडियों के माध्यम से प्रथम तल पर पहुंचा जहां पर परिवादी श्री अभिषेक कुमार मौजूद मिला जिससे पूर्व में सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रख लिया । परिवादी ने बताया कि मेरी कैशियर भारत परमार , नीरज शर्मा वरिष्ठ सहायक व एइन प्रिया झा से बातचीत हो गई हैं जिनको मैंने वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है और बताया कि कैशियर भारत परमार ने नीरज शर्मा के समक्ष ही अपने कक्ष में रिश्वत राशि के 50 हजार को अपने दोनो हाथों से गिनकर अपनी कक्ष में रखी तिजूरी में रख लिये हैं। मैं भारत परमार और नीरज शर्मा को कैशियर कक्ष में ही छोडकर एईन प्रिया झा के पास पहुंचा उनसे रिश्वत लेनदेन सम्बंधी बातचीत हुई तो उन्होने रिश्वत राशि 60 हजार रूपये कक्ष के बाहर बैठे संविदाकर्मी हरेन्द्र गुर्जर को देने के लिए कहा तो मैने 60 हजार रूपये रिश्वत राशि को हरेन्द्र गुर्जर को दे दिये जिन्होंने अपने दांये हाथ से रिश्वत राशि को लेकर अपने पहने हुए पेंट की दांयी तरफ की जेब में रख लिया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अग्रिम कार्यवाही करते हुए आरोपीगण की तलाश में प्रथम तल पर बने भवन में प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही दांयी तरफ नीरज शर्मा का कक्ष दिखाई दिया मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान , स्वतंत्र गवाहान , परिवादी के कक्ष के अन्दर प्रवेश किया तो कक्ष में आठ-दस लोग कार्य कर रहे थे। जिनमें से पेंट शर्ट पहने दो व्यक्तियों की ओर इशारा कर बताया कि ये ही कैशियर भारत परमार और नीरज शर्मा हैं। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए परिवादी द्वारा बताए गये दोनो व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछा तो उनमें से एक ने अपना नाम नीरज शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद शर्मा उम्र 34 साल जाति ब्राहम्ण निवासी सिंचाई विभाग के सामने कमला कोलोनी बाडी रोड पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय नगर परिषद धौलपुर होना बताया तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम भारत परमार पुत्र श्री राजकुमार परमार उम्र 26 साल जाति ठाकुर निवासी डॉक्टर बीना गोयल नर्सिंग होम के पास पटपरा रोड धौलपुर पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर जिला धौलपुर हाल वरिष्ठ सहायक एवं कैशियर नगर परिषद धौलपुर होना बताया इस पर दोनों आरोपियों को डिटेन किया जाकर कैशियर भारत परमार के दोनों हाथों को कलाइयां के ऊपर से श्री संतोष कुमार हैडकानि. 58 से दांया हाथ एवं श्री परसराम कानि. नं. 203 से बायां हाथ पकडवाया गया तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी के बताए अनुसार एईन प्रिया झा के कक्ष के पास पहुंचा तो परिवादी ने कक्ष के अन्दर बैठी महिला की ओर इशारा कर बताया कि ये ही एईन प्रिया झा हैं जिनके कहने पर मैंने रिश्वत राशि 60 हजार रूपये को अभी-अभी , कक्ष के बाहर पेंट शर्ट में खडे एक व्यक्ति की ओर इशारा कर बताया कि ये ही संविदा कर्मी हरेन्द्र गुर्जर है जिसको मैंने रिश्वत राशि दी है। इस पर हरेन्द्र गुर्जर को डिटेन कर उसके दोनो हाथों को कलाइयों के ऊपर से श्री लोकेश कानि. से दांया हाथ एवं बायां हाथ श्री राजेन्द्र सिंह कानि. से पकडवाया जाकर हमरा लेकर एईन कक्ष के अन्दर प्रवेश कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए कक्ष में बैठी महिला से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रिया कुमारी पुत्री श्री ब्रह्मानंद झा जाति ब्राहम्ण उम्र 31 साल निवासी गांव कबीलपुर पुलिस थाना लेहरीसराय जिला

दरभंगा बिहार हाल निवासी जीविका अपार्टमेंट, बंगाई गांव, पुलिस थाना व जिला बंगाई गांव असम हाल निवासी मं. नं. 419 कृष्णा कोलोनी बाडी रोड धौलपुर हाल सहायक अभियंता (सिविल) नगर परिषद धौलपुर होना बताया एवं डिटेनशुदा व्यक्ति ने अपना नाम हरेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री दिलीप गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 33 साल निवासी मानपुर पुलिस थाना कैलोरी जिला धौलपुर हाल निवासी कमला कोलोनी पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल संविदाकर्मी नगर परिषद धौलपुर होना बताया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार डिटेनशुदा नीरज शर्मा , हाथ पकडी हुई अवस्था में भारत परमार एवं हरेन्द्र गुर्जर व एईन प्रिया कुमारी को हमरा लेकर आयुक्त कक्ष में पहुंचा जहां कक्ष में बैठे हुए व्यक्ति की ओर परिवादी ने इशारा कर बताया कि ये कमीशनर साहब है जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उमने अपना नाम अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री ग्यारसी लाल शर्मा उम्र 45 साल जाति ब्राहम्ण निवासी गांव भोजवाडा पुलिस थाना कोलवा जिला दौसा हाल आयुक्त नगर परिषद धौलपुर होना बताया। तत्पश्चात एईन प्रिया कुमारी से परिवादी श्री अभिषेक कुमार से संविदा कर्मी हरेन्द्र गुर्जर को दिलवाई गई रिश्वत राशि 60 हजार के मम्बंध में पूछा तो बताया कि मैं 22 जुलाई 2024 से एईन के पद पर नगर परिषद धौलपुर में पदस्थापित हूं। अभिषेक कुमार मेरे पास दिनांक 08.09.25 को मेरे पास आये थे और अपने कार्य के शेष भुगतान 13 लाख रूपये के सम्बंध में बातचीत की ये मुझे रिश्वत राशि देने का प्रलोभन दे रहे थे। लेकिन मेरे द्वारा अभिषेक से कोई रिश्वत राशि की मांग नही की गई और नाही मैने इनसे कोई रिश्वत प्राप्त की है। इस पर पास में खडे परिवादी श्री अभिषेक कुमार ने एईन प्रिया कुमारी की बातों का खंडन करते हुए कहा कि एईन प्रिया कुमारी झूंठ बोल रही हैं मैं इनके पास दिनांक 8.9.25 को गया था तो मैडम से मेरे भुगतान के सम्बंध में वार्तालाप हुई थी मैडम ने मुझे कैलकूलेटर पर हिसाब कर 70 हजार रूपये टाइप कर बताए तो मेरे निवेदन करने पर 60 हजार रूपये लेने पर सहमत हो गई। आज जब मैं इनके पास रिश्वत राशि 60 हजार रूपये देने पहुंचा तो मैडम किसी अन्य व्यक्ति से वार्तालाप कर रही थी मैंने रिश्वत रशि को देना चाहा तो मैडम ने कहा कि मैं यहां नही लेती कुछ समय पश्चात मैडम ने रिश्वत राशि 60 हजार रूपयें को संविदाकर्मी हरेन्द्र गुर्जर को देने की कहा था इस पर मैंने रिश्वत राशि 60 हजार रूपये को कक्ष के बाहर ही हरेन्द्र गुर्जर को दे दिये। हरेन्द्र ने रिश्वत राशि लेकर अपने पहने हुए पेंट की दांयी तरफ की जेब में रख लिये। इस पर हरेन्द्र गुर्जर ने रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा तो बताया कि मैं यहां करीब 3-4 महीने से नगर परिषद धौलपुर में कार्य कर रहा हूं। मैंने अभिषेक से कोई रिश्वत राशि की मांग नही की इमने ही जबरदस्ती एक पांच-पांच सौ रूपये के नोटो की गड्डी मेरे पेंट की जेब में रख दिये जल्दबाजी में मुझे ये ज्ञात नही हो सका कि अभिषेक ने मेरी जेब में पैसे क्यों और किसलिये रखे हैं मैंने समझा कि यह नगर परिषद में आते रहते हैं बाद में आकर मुझसे पैसे ले जाएंगे। रूपये अभी भी मेरी जेब में रखे हुए हैं। इस पर परिवादी अभिषेक कुमार ने कहा कि मैने रिश्वत राशि 60 हजार रूपये को एईन मैडम के कहने पर हरेन्द्र गुर्जर को दिये थे । परिवादी से पूर्व में प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को लैपटॉप की सहायता से परिवादी और एईन प्रिया कुमारी के मध्य हुई वार्तालाप को सुना गया तो रिश्वत राशि 60 हजार रूपये को एईन प्रिया कुमारी द्वारा ही हरेन्द्र गुर्जर को दिलवाया जाना रिकॉर्ड हुआ पाया गया है। इसके बाद गवाह श्री अभिमन्यु द्वारा हरेन्द्र गुर्जर की तलाशी लिवाई गई तो दौराने तलाशी हरेन्द्र गुर्जर की पहनी हुई पेंट की जेब से पांच-पांच सौ रूपये के नोटो की एक गड्डी प्राप्त हुई जिसे भी उक्त गवाह के पास सुरक्षित रखवाया गया तत्पश्चात भारत परमार वरिष्ठ महायक से परिवादी द्वारा दी गई रिश्वत राशि 50 हजार रूपये के सम्बंध में पूछा तो भारत परमार ने बताया कि मैं नगर परिषद धौलपुर में दिसम्बर 2023 से वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूं माह फरबरी 2025 से मेरे पास कैशियर का भी चार्ज है। अभिषेक मेरे पास अपने शेष भुगतान के लिए आया था तो मैंने अभिषेक से कहा कि आपका पेमेन्ट तो हो जाएगा परन्तु भुगतान जब होगा तब आयुक्त साहब कहेंगे क्योंकि कार्यालय में काफी संवेदक अपने अपने बिलों को भुगतान के लिए आते हैं लेकिन मैं सिर्फ उन्ही संवेदकों के बिलों का भुगतान करता हूं जिनके लिए आयुक्त साहब मुझे निर्देशित करते है क्योंकि फंड की हमेशा कमी रहती है। मेरे द्वारा अभिषेक से कोई रिश्वत राशि की मांग नही की गई और इन्होने जो राशि मुझे दी थी उमे मैने अपने कक्ष में रखी तिजूरी में रख दिया। मैं उसकी बाद में रसीद काटता । राशि अभी भी मेरे कक्ष में रखी तिजूरी में रखी हुई है। पास में खडे परिवादी ने कैशियर भारत परमार की बातों का खंडन करते हुए कहा कि कैशियर साहब झूंठ बोल रहे है दिनांक 08.09.25 को मैं कैशियर साहब से मिला था तो मेरी कैशियर साहब से 50 हजार रूपये रिश्वत के सम्बंध में बातचीत हुई थी इसके बाद दिनांक 10.09.25 को मैं कैशियर साहब से मिला तो मैंने कैशियर साहब से कहा कि आपके 50 हजार रूपये भी देवेन्द्र ड्राइवर को दे दूं तो कैशियर साहब ने कहा कि मेरे तो मुझे ही देना जिस पर आज मैं रिश्वत राशि 50 हजार रूपये को लेकर कैशियर साहब के पास पहुंचा तो कैशियर साहब के कक्ष में नीरज शर्मा भी मौजूद थे जिनके समक्ष मैने कैशियर साहब भारत परमार को रिश्वत राशि के 50 हजार रूपये दिये और नीरज शर्मा जी ने भी कैशियर साहब से कहा कि इनका चैक तैयार करवा दो। कैशियर साहब ने रिश्वत राशि 50 हजार को मुझसे लेकर अपने कक्ष में रखी तिजोरी में रख लिया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही भारत परमार मय स्वतंत्र गवाहान को लेकर कैशियर कक्ष में पहुंचा जहां कैशियर भारत परमार ने तिजूरी खोलकर पांच-पांच सौ रूपये की नोटो की एक गड्डी निकालकर पेश की जिसे भी गवाह श्री अभिमन्यु द्वारा उठवाया जाकर सुरक्षित गवाह के पास रखवाया गया। कक्ष से रवाना होकर पुनः आयुक्त कक्ष में पहुंचा एवं हाथ पकडी हुई अवस्था में पूर्व से डिटेनशुदा आरोपी देवेन्द्र कुमार शर्मा को भी आयुक्त कक्ष में बुलाया जाकर

देवेन्द्र कुमार शर्मा से पुनः पूछताछ की तो बताया कि मैं अभिषेक कुमार को जानता हूं जो कि संवेदक है जिनके द्वारा पानी निकासी का कार्य किया गया था उस पानी निकासी में मेरे परिवार के तीन टैक्टर कार्य पर लगे हुए थे जिनको मैने अपनी जिम्मेदारी पर लगवाया था। करीब 40-45 दिन टैक्टरों द्वारा कार्य किया गया था। मेरे द्वारा अभिषेक कुमार से 800 रूपये प्रति घंटे मौखिक रूप से तय हुआ था जिनका करीब 5 लाख रूपये का कार्य हुआ था जिनमें से अभिषेक द्वारा 450 रूपये प्रति घंटे के हिसाब से दो टैक्टरों के कार्य का करीब 1,75,000 रूपये भुगतान पूर्व में कर दिया है एक ट्रैक्टर के कार्य के 500 रूपये प्रति घंटे के हिसाब से लगभग दो लाख रूपये बाकी थे। मेरे परिवार वाले मुझे बार बार कह रहे थे कि तेरे कहने पर हमने टैक्टर कार्य पर लगाया था जिसके कार्य के पैसे अभी तक नही आये है जिन्हे तुम दो या ठेकेदार से दिलवाओ। दो दिन पहले मैने अभिषेक को बुलाकर उससे पानी निकासी कार्य में लगे टैक्टर के बकाया रूपयों के लिए कहा तो कहा कि तुम मेरे से नगर परिषद धौलपुर से चैक मिलने के बाद पैसे ले लेना। मैने अभिषेक कुमार से कमीशनर साहब अशोक कुमार शर्मा एव नीरज शर्मा वरिष्ठ सहायक का नाम लेकर कहा कि मैं आपका चैक दिलवा दूंगा आप मुझे मेरे दो लाख रूपये पहले ही दे जाना इस पर आज अभिषेक कुमार ने मुझे फोन कर पैसे लेने के लिए बुलाया और मैं अभिषेक से मिला और बताया कि अगर विश्वास ना हो तो मैं आपकी नीरज जी से बात करा दूं। मैने अपने मोबाइल नम्बर 9001677898 से नीरज शर्मा वरिष्ठ सहायक के मोबाइल नम्बर पर वाटमअप कॉल द्वारा अभिषेक की बात कराई फिर मैं अभिषेक की कार में बैठकर उसके माथ गौरवपथ रोड पर दर्शन हॉस्पीटल के सामने पहुंचा जहां अभिषेक ने मुझे पांच-पांच सौ रूपये के नोटो की तीन गड्डियां दी जिनको मैंने अपने हाथों से गिना तो दो लाख रूपये होना पाये गये ये रूपये मेरी जिम्मेदारी पर लगाये गये टैक्टर के कार्य के हैं। इस पर पास में बैठे परिवादी श्री अभिषेक कुमार ने बताया कि देवेन्द्र कुमार शर्मा झूंठ बोल रहे हैं मेरी पत्नि श्रीमती गौरा शर्मा जो कि राजकीय संवेदक हैं जिनके नाम मानवी एसोसिएट्स नाम से फर्म है फर्म के द्वारा गत वर्ष नगर परिषद धौलपुर के पानी निकासी का कार्य किया गया था जिसका करीब 40 लाख रूपये का बिल बना था जिनमें से करीब 25 लाख रूपये मेरी फर्म के पास प्राप्त हो चुके हैं। बचे हुए करीब 13 लाख रूपये के भुगतान के लिए मैं दिनांक 08.09.2025 को आयुक्त साहब अशोक शर्मा जी से उनके निवास पर मिलने गया तो आयुक्त साहब ने मेरे से मेरे भुगतान के सम्बंध में पूछा तो मैने लगभग 13 लाख रूपये शेष होना बताया था जिस पर आयुक्त साहब ने मुझे कहीं बाहर जाने की कहकर अगले दिन मिलने के लिये कहा था इसके बाद मैं कार्यालय नगर परिषद धौलपुर में जाके एईएन प्रिया झा से मिला तो उन्होने मुझ से मेरे बिल भुगतान कराने की एबज में 70 हजार रिश्वत की मांग कर स्वयं के लिये 60 हजार रूपये लेने पर सहमत हो गई, इसके बाद मैं भारत जी कैशियर से मिला तो भारत जी कैशियर साहब ने मेरे से मेरे बिल भुगतान कराने की एवज में स्वयं के लिये 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग की इसके बाद दिनांक 09.09.2025 को मैने देवेन्द्र जो साहब की गाडी चलाता है साहब से मिलने के लिये फोन किया तो देवेन्द्र ड्राईवर ने मेरे से कहा कि कल मेरी रास्ते में नीरज जी से व साहब से बात हो गई है तू मेरे से मिलना मैं मिलके बता दूंगा। इसके बाद देवेन्द्र ड्राईवर का मेरे पास फोन आया कि मैं जगदीश तिराहे पर पोहे वाले की दुकान पर खडा हूं तुम मेरे पास ही आ जाओ इसके बाद मै देवेन्द्र ड्राईवर से मिला तो देवेन्द्र ने मेरे से कहा कि मेरी नीरज भईया से साहब के सामने बात हो गई है नीरज भईया ने साहब के लिये दो लाख रूपये व कैशियर के लिये 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग की है व बीस हजार रूपये रसीद के बताये और कुल 2 लाख 50 हजार रूपये लेने पर सहमत हो गया, इसके बाद दिनांक 10.09.2025 को मेरी वार्तालाप देवेन्द्र ड्राईवर से हुई तो देवेन्द्र ड्राईवर ने 2 लाख 50 हजार रूपये रिश्वत मांग को दोहराया एवं मेरी नीरज बाबू से फोन पर बात कराई थी तो नीरज बाबू जी से मैने फोन पर कहा कि देवेन्द्र को मैं 2 लाख 50 हजार रूपये दे दू तो मेरा काम हो जायेगा मुझे घुमाना मत नीरज बाबूजी ने मेरे से कहा ठीक है देवेन्द्र ने कहा कि आप ये भुगतान करो और तुरन्त चैक ले जाओ उक्त वार्तालाप मैने वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड कर ली इसके बाद पुनः देवेन्द्र ड्राईवर से पूछताछ की गई तो देवेन्द्र ड्राईवर ने उक्त सभी वार्तालाप सही होना बताया एवं बताया कि कभी कभार काम पडने पर मैं आयुक्त साहब की गाडी चलाता हूं और साहब के घर कोई सामान की जरूरत पडती है तो मैं बाजार से लाकर दे देता हूं, इसके बाद नीरज शर्मा वरिष्ठ सहायक से परिवादी श्री अभिषेक कुमार से हुई वार्तालाप के सम्बन्ध में पूछा तो नीरज शर्मा ने बताया कि मैं वर्ष 2014 से नगर परिषद धौलपुर में पदस्थापित हूं। वर्ष 2024 में मेरी पदोन्नति वरिष्ठ सहायक के पद पर हो गई तब से मैं वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूं। मैं अभिषेक कुमार को जानता हूं। ये कई बार मुझसे शेष भुगतान के सम्बंध में मिलने भी आये परन्तु मेरे से सम्बंधित कोई कार्य नही होने के कारण मेरी इनसे कोई विशेष बातचीत नही हुई। इनसे मेरी कल दिनांक 10.09.25 को देवेन्द्र ड्राइवर के मोबाइल से मेरी देवेन्द्र ड्राइवर व अभिषेक कुमार ठेकेदार से बात हुई थी तो अभिषेक ने मेरे से कहा कि मैं ढाई लाख रूपये इनको दे दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा क्या तो मैने कहा कि मैं साहब से बोल दूंगा करा दूंगा। इसके बाद कल मुझे कार्यालय में सीडियों से ऊपर आते हुए अभिषेक कुमार मिला था तो मैने अभिषेक से कहा कि वो देवेन्द्र वाला काम हो गया क्या इसके बाद आज मैं भारत परमार कैशियर के पास बैठा हुआ था तो अभिषेक कुमार कैशियर साहब के पास आया तो मैंने कैशियर साहब से कहा कि जो कुछ लेना है तो लेकर अभिषेक ठेकेदार का पेमेंट कर दो। तत्पश्चात पूर्व से स्वतंत्र गवाह श्री अभिमन्यु को संभलाई गई रिश्वत राशि कुल 03 लाख 10 हजार रूपये को आयुक्त कक्ष में ही उनकी कार्य करने की टेबल पर निकलवाया जाकर पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो हूबहू भारतीय चलन मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के नोटों की पांच गड्डियां जिनमें 620 नोट कुल

03 लाख 10 हजार रूपये होना पाये गये। उपरोक्त रिश्वत राशि दो लाख, 60 हजार एवं 50 हजार रूपये के सभी नोटो को पृथक-पृथक से सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिटों के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवाकर आयुक्त कक्ष में रखे पानी के कैम्पर से पानी लिया जाकर डिस्पोजल गिलास को साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर गिलास के घोल में आरोपी देवेन्द्र कुमार शर्मा के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क LH1 व LH2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया तत्पश्चात दूसरे गिलास में पूर्वानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जिसे सभी हाजिरीन को दिखया गया सभी ने रंगहीन स्वीकार किया गिलास के घोल में आरोपी देवेन्द्र कुमार शर्मा के दांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क RH1 व RH2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया पुनः ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवाकर आयुक्त कक्ष में रखे पानी के कैम्पर से पानी लिया जाकर डिस्पोजल गिलास को साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर गिलास के घोल में आरोपी भारत परमार वरिष्ठ सहायक के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क LH3 व LH4 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया तत्पश्चात दूसरे गिलास में पूर्वानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जिसे सभी हाजिरीन को दिखया गया सभी ने रंगहीन स्वीकार किया गिलास के घोल में आरोपी भारत परमार वरिष्ठ सहायक के दांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क आर RH3 व RH4 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया पुनः ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवाकर आयुक्त कक्ष में रखे पानी के कैम्पर से पानी लिया जाकर डिस्पोजल गिलास को साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर गिलास के घोल में आरोपी हरेन्द्र गुर्जर के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क LH5 व LH6 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया तत्पश्चात दूसरे गिलास में पूर्वानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जिसे सभी हाजिरीन को दिखया गया सभी ने रंगहीन स्वीकार किया गिलास के घोल में आरोपी हरेन्द्र गुर्जर के दांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क RH5 व RH6 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया तत्पश्चात पूर्वानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जिसे सभी हाजिरीन को दिखया गया सभी ने रंगहीन स्वीकार किया गिलास के घोल में आरोपी हरेन्द्र गुर्जर के पेंट को उतरवाकर पहनने के लिए पायजामा दिया जाकर घोल में पेंट की दांयी तरफ की जेब को उल्टा कर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क PP1 व PP2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात पेंट के जेब को सुखाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराकर पेंट का अवलोकन किया गया तो पेंट का रंग क्रीम कलर मय चैक डिजाइन जिसकी कमर पर अंदर की तरफ ब्लैकबेरीज का लोगो लगा हुआ है को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "PP' अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात संदिग्ध आयुक्त अशोक कुमार शर्मा से परिवादी के लंबित कार्य एवं देवेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा प्राप्त की गई रिश्वत राशि एवं नीरज शर्मा द्वारा परिवादी के शेष भुगतान की सहायता सम्बंधी वार्तालाप के सम्बंध में पूछा तो अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि अभिषेक मेरे से दो दिन पहले मिलने आया था और अपने

शेष भुगतान के सम्बंध में कहने लगा तो मैंने अभिषेक से कहा कि आप बाद में ऑफिस में आकर मिल लेना। आज जो कार्यवाही आपके द्वारा की गई है इस सम्बंध में मुझे कोई जानकारी नही है। भुगतान पास करने के सम्बंध में पूछा तो आयुक्त अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि चैक जारी करने से पहले नोटशीट चलती है इस पर कैशियर भारत परमार से नोटशीट के सम्बंध में पूछा तो कैशियर भारत परमार ने पूर्व पत्रावली को देखकर बताया कि चैक जारी करने से पूर्व किसी भी तरह की कोई नोटशीट नही चलाई गई है तत्पश्चात अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि संवेदक अभिषेक कुमार की शिकायत होने के कारण भुगतान में विलम्ब हो रहा है इस पर कैशियर भारत परमार ने आयुक्त की ऑनलाइन पोर्टल से कुछ दस्तावेज पेश किये जिनका अवलोकन किया गया तो ऑनलाइन पैरा दिनांक 01 जनवरी 2025 कार्यालय आदेश क्रमांक 4070-75 दिनांक 15.09.24 के द्वारा नगर परिषद धौलपुर में जल भराव की समस्या के समाधान में मानवी एसोसिएट्स द्वारा किये गये कार्य के भुगतान के सम्बंध में जिसमें लगाए गये सभी आक्षेपों का निस्तारण दिनांक 01 अगस्त 2025 को ही हो चुका है जबकि परिवादी के भुगतान का दूसरा चैक 27 जुलाई 2025 को जारी किया जा चुका था। आयुक्त द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण मानने योग्य नहीं है क्योंकि नगर परिषद धौलपुर के राजकीय संवेदक को संगठित रूप से परेशान कर रिश्वत लेना स्पष्ट प्रतीत होता है आयुक्त द्वारा परिवादी के भुगतान से संबंधित कार्य पेण्डिसी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और इस संबध में आयुक्त द्वारा कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आयुक्त की रिश्वत राशि 3 लाख 10 रूपये में संलिप्तता की भूमिका संदिग्ध है। भूमिका से संबंध में अभी स्पष्ट रूप से कुछ कहपाना संभव नहीं है। इसके लिये कल अन्य साक्ष्यों को एकत्रित कर वितृस्त पूछताछ की जावेगी। परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कम्प्यूटर की सहायता से टेबल स्पीकर से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। आरोपीगण प्रिया कुमारी एईन नगर परिषद धौलपुर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) अपराध श्रेणी में आता है , नीरज शर्मा वरिष्ठ सहायक नगर परिषद धौलपुर का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) अपराध श्रेणी में आता है, भारत परमार वरिष्ठ सहायक व कैशियर नगर परिषद धौलपुर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) अपराध श्रेणी में आता है व देवेन्द्र कुमार शर्मा ड्राइवर कम पम्प आपरेटर नगर परिषद धौलपुर का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) अपराध श्रेणी में आता है तथा संविदाकर्मी हरेन्द्र गुर्जर नगर परिषद धौलपुर का उक्त कृत्य धारा 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) अपराध श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपीगणों को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियोग्राफी विभागीय सरकारी वीडियोकैमरा की गई। तत्पश्चात समय 06.20 पीएम - पर गवाहों के समक्ष व श्रीमती शगुन महिला कानि. नं. 43 की मौजूदगी में अभियुक्ता प्रिया कुमारी पुत्री श्री ब्रह्मानंद झा जाति ब्राह्मण उम्र 31 साल निवासी गांव कबीलपुर पुलिस थाना लेहरीसराय जिला दरभंगा बिहार हाल निवासी जीविका अपार्टमेंट, बंगाई गांव, पुलिस थाना व जिला बंगाई गांव असम हाल निवासी मं. नं. 419 कृष्णा कोलोनी बाडी रोड धौलपुर हाल सहायक अभियंता (सिविल) नगर परिषद धौलपुर द्वारा परिवादी श्री अभिषेक कुमार की पत्नि श्रीमती गौरा शर्मा जो कि राजकीय संवेदक हैं जिनकी फर्म का नाम मानवी एसोसिएट्स है , के द्वारा जिला धौलपुर में नगर परिषद धौलपुर के अन्तर्गत जल निकासी का कार्य गत वर्ष किया गया था। उक्त कार्य का करीब 13 लाख रूपये का भुगतान लंबित होने के कारण उक्त भुगतान करने की एवज में 70 हजार रूपये रिश्वत की मांग करना एवं परिवादी के निवेदन करने पर 60 हजार रूपये रिश्वत लेने पर सहमत होना एवं आज दिनांक को परिवादी से संविदाकर्मी हरेन्द्र गुर्जर को 60 हजार रूपये रिश्वत के रूप में दिलवाना । रिश्वत राशि संविदाकर्मी हरेन्द्र गुर्जर की पहनी हुई पेंट की दांयी तरफ की जेब से बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपिता को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात समय 06.50 पीएम पर गवाहों के समक्ष अभियुक्त नीरज शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद शर्मा उम्र 34 साल जाति ब्राह्मण निवासी सिंचाई विभाग के सामने कमला कोलोनी बाडी रोड पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय नगर परिषद धौलपुर द्वारा परिवादी श्री अभिषेक कुमार की पत्नि श्रीमती गौरा शर्मा जो कि राजकीय संवेदक हैं जिनकी फर्म का नाम मानवी एसोसिएट्स है , के द्वारा जिला धौलपुर में नगर परिषद धौलपुर के अन्तर्गत जल निकासी का कार्य गत वर्ष किया गया था। उक्त कार्य का करीब 13 लाख रूपये का भुगतान लंबित होने के कारण उक्त भुगतान करने की एवज में आयुक्त अशोक कुमार शर्मा व भारत परमार कैशियर के नाम से देवेन्द्र कुमार शर्मा ड्राईवर के साथ मिलकर 02.50 लाख रूपये रिश्वत की मांग करना व उक्त राशि देवेन्द्र कुमार ड्राईवर को देने के लिए कहना एवं उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 11.09.2025 को भारत परमार को रिश्वत राशि 50 हजार रूपये दिलवाने का उक्त कृत्य धारा 7,7ए,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात समय 07.20 पी.एम पर गवाहों के समक्ष अभियुक्त भारत परमार

पुत्र श्री राजकुमार परमार उम्र 26 साल जाति ठाकुर निवासी डॉक्टर बीना गोयल नर्सिंग होम के पास पटपरा रोड धौलपुर पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर जिला धौलपुर हाल वरिष्ठ सहायक एवं कैशियर नगर परिषद धौलपुर द्वारा परिवादी श्री अभिषेक कुमार की पत्नि श्रीमती गौरा शर्मा जो कि राजकीय संवेदक हैं जिनकी फर्म का नाम मानवी एसोसिएट्स है , के द्वारा जिला धौलपुर में नगर परिषद धौलपुर के अन्तर्गत जल निकासी का कार्य गत वर्ष किया गया था। उक्त कार्य का करीब 13 लाख रूपये का भुगतान लंबित होने के कारण उक्त भुगतान करने की एवज में 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग करना व उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 11.09.2025 को रिश्वत राशि 50 हजार रूपये प्राप्त कर अपने कक्ष में तिजोरी में रखना जंहा से रिश्वत राशि बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात समय 07.50 पी.एम पर गवाहों के समक्ष अभियुक्त हरेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री दिलीप गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 33 साल निवासी मानपुर पुलिस थाना कैलोरी जिला धौलपुर हाल निवासी कमला कोलोनी पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल संविदाकर्मी नगर परिषद धौलपुर द्वारा परिवादी श्री अभिषेक कुमार की पत्नि श्रीमती गौरा शर्मा जो कि राजकीय संवेदक हैं जिनकी फर्म का नाम मानवी एसोसिएट्स है , के द्वारा जिला धौलपुर में नगर परिषद धौलपुर के अन्तर्गत जल निकासी का कार्य गत वर्ष किया गया था। उक्त कार्य का करीब 13 लाख रूपये का भुगतान लंबित होने के कारण उक्त भुगतान करने की एवज में श्रीमति प्रिया कुमारी सहायक अभियंता नगर परिषद धौलपुर के कहने पर रिश्वत राशि 60 हजार रूपये प्राप्त कर अपने पहनी हुई पेन्ट की दांयी जेब में रखना जंहा से रिश्वत राशि बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7ए,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को जुर्म मे आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात समय 08.20 पीएम पर गवाहों के समक्ष अभियुक्त देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामनिवास शर्मा उम्र 35 साल निवासी ग्राम बीरपुर पोस्ट बरीपुरा पुलिस थाना बसई डांग जिला धौलपुर हाल ड्राइवर कम पम्प ऑपरेटर अग्निशमन कार्यालय धौलपुर अतिरिक्त चार्ज सहायक मैकेनिकल नगर परिषद धौलपुर द्वारा परिवादी श्री अभिषेक कुमार की पत्नि श्रीमती गौरा शर्मा जो कि राजकीय संवेदक हैं जिनकी फर्म का नाम मानवी एसोसिएट्स है , के द्वारा जिला धौलपुर में नगर परिषद धौलपुर के अन्तर्गत जल निकासी का कार्य गत वर्ष किया गया था। उक्त कार्य का करीब 13 लाख रूपये का भुगतान लंबित होने के कारण उक्त भुगतान करने की एवज में आयुक्त अशोक कुमार शर्मा व भारत परमार कैशियर के नाम से 02.50 लाख रूपये रिश्वत की मांग करना व उक्त मांग के अनुसरण में 02 लाख रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7,7ए,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात समय 09.00 पी.एम पर गवाहों के समक्ष परिवादी श्री अभिषेक कुमार पत्नि श्रीमती गौरा शर्मा जो कि राजकीय संवेदक हैं जिनकी फर्म का नाम मानवी एसोसिएट्स है , के द्वारा जिला धौलपुर में नगर परिषद धौलपुर के अन्तर्गत जल निकासी का कार्य गत वर्ष किया गया था। उक्त कार्य का करीब 13 लाख रूपये का भुगतान से संबधित दस्तावेज श्री गुमान सिंह सैनी अधिशाषी अभियंता नगर परिषद धौलपुर ने पेश किये उक्त दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तो प्रथम पृष्ट व द्वितीय पृष्ट पर बिल व बाउचर लगे हुये है व पृष्ट संख्या 03 पर कार्य आदेश है एवं ईफाईल नोट शीट पृष्ट संख्या 04 से लेकर 09 तक जो पैरा संख्या 15 से शुरू होकर पैरा संख्या 35 तक है। उक्त दस्तावेजात की कार्यवाही हाजा में बजह सबूत आवश्यकता होने पर दस्तावेजात की छायाप्रति कराकर नम्बरिंग कराकर मौके पर उपस्थित गुमान सिंह अधिशाषी अभियंता नगर परिषद धौलपुर से छायाप्रति दस्तावेजात को प्रमाणित कराकर मूल दस्तावेजात को श्री गुमान सिंह अधिशाषी अभियंता नगर परिषद धौलपुर को सुपुर्द की गई। प्रमाणित छायाप्रति दस्तावेजात के प्रथम व अन्तिम पृष्ठ पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कार्यवाही हाजा में बतौर वजह सबूत जप्त किया गया। फर्द जप्ती रिकॉर्ड पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात समय 09.30 पी.एम पर मन अतिपुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के वास्ते नक्श मौका बनाने हेतु रवाना सिटी जुबली चौराहा धौलपुर रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 09.40 पी.एम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा जुबली चौराहा धौलपुर पहुंचा गवाहान व परिवादी के समक्ष परिवादी की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका रोड लाईट व गाडी की रोशनी में तैयार कर वापस नगर परिषद कार्यालय उपस्थित आया परिवादी की निशादेही पर कार्यालय घटनास्थल जहां अन्य आरोपीगण ने रिश्वत राशि प्राप्त की उक्त नक्शे में मौका एवं हालात मौका अंकन किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 10.30 पीएम पर अशोक कुमार शर्मा आयुक्त नगर परिषद धौलपुर जो कि कार्यवाही हाजा में संदिग्ध भूमिका रखते है इनसे पृथक से विस्तृत पूछताछ की जानी है अतः अशोक कुमार शर्मा आयुक्त नगर परिशद धौलपुर को हिदायत की गयी कि जब भी आप को कार्यवाही में बुलाया जावे तो आप कार्यवाही हाजा में अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित आवे बाद हिदायत अशोक कुमार शर्मा आयुक्त को

रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 12.09.2025 समय 03.40 ए.एम पर श्री जोगेन्द्र सिंह सउनि, श्री रीतराम सिंह सउनि, श्री संतोष कुमार हैड कानि. 58, श्रीमति कुमारी शगुन महिला कानि मय गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण भारत परमार वरिष्ठ सहायक, नीरज शर्मा वरिष्ठ सहायक, प्रिया कुमारी एईएन, देवन्द्र कुमार ड्राईवर, हरेन्द्र गुर्जर मय सरकारी वाहन मय चालक श्री रोशन सिंह कानि के आरोपीगणों को बन्द हवालात कराने के लिये पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर रवाना किया जाकर हिदायत दी गई कि आप आरेपीगण को बन्द हवालात कर सीधे ही एसीबी चौकी धौलपुर पहुंचे। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, दौराने ट्रेप कार्यवाही बरामद की गयी शील्ड रिश्वत राशि, शील्ड धोवन की शीशीयां, शील्ड पैन्ट पैकिट, कैशियर की तिजोरी की चाबी, ट्रेप बाक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर, व अन्य सरकारी सामान के प्राईवेट वाहनों के अग्रिम कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी भरतपुर रवाना होता हूं। तत्पश्चात समय 04.00 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, दौराने ट्रेप कार्यवाही बरामद की गयी शील्ड रिश्वत राशि, शील्ड धोवन की शीशीयां, शील्ड पैन्ट पैकिट, कैशियर की तिजोरी की चाबी, ट्रेप बाक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर, व अन्य सरकारी सामान के प्राईवेट वाहनों के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा एसीबी चौकी धौलपुर पहुंचा। तत्पश्चात समय 04.20 ए.एम पर श्री जोगेन्द्र सिंह सउनि व श्री रीतराम सिंह सउनि मय जाप्ता मय सरकारी वाहन के उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा आरोपीगण को पुलिस थाना निहालगंज में बन्द हवालात कराकर एसीबी चौकी धौलपुर आये। तत्पश्चात समय 04.30 ए.एम पर दिनांक 07.09.2025, 08.09.2025 व 09.09.2025 एवं 10.09.2025 को कार्यालय के वाइस रिकार्डर में काम में लिये गये मैमोरी कार्डो जिनमें उक्त दिनांकों में परिवादी एवं आरोपीगण के मध्य हुई वार्ताऐं रिकार्ड है को बारी-बारी से कार्ड रीडर की सहायता से लैपटॉप जिसमें एन्टीवायरस डला हुआ है के द्वारा स्कैन किया गया तो उक्त दिनांकों में उपयोग में आये तीनों कार्डा में कोई भी वायरस व मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त तीनों कार्डा में रिकार्ड वार्ताओं की एमपी-3 फाईलों का एफटीके इमेजर साफ्टवेयर द्वारा बारी-बारी से हैश वैल्यू MD5 व SHA1 में निकाली जाकर हैश वैल्यू का पृथक-पृथक से प्रिन्ट आउट लिये जाकर, प्रिन्ट आउटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 05.00 ए.एम पर दिनांक 07.09.2025, 08.09.2025 व 09.09.2025 एवं 10.09.2025 को परिवादी अभिषेक कुमार व आरोपीगण आयुक्त अशोक कुमार शर्मा, प्रिया कुमारी एईएन, नीरज शर्मा वरिष्ठ सहायक, भारत परमार वरिष्ठ सहायक/कैशियर व देवेन्द्र कुमार शर्मा ड्राइवर कम पम्प ऑपरेटर के मध्य मोबाईल पर एवं आमने सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं जिनको परिवादी द्वारा उक्त दिनांकों में समय समय पर रिकार्ड किया गया था। रिकॉर्ड वार्तालापों को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद तैयार किया गया। उक्त वार्तालापों को तीन मैमोरी कार्डों में रिकार्ड किया गया था। तीनों मैमोरी कार्डों में रिकार्ड वार्ताओं की कार्यालय के लैपटॉप की सहायता से सीडी तैयार करते समय M, M1, M2 नाम के तीन फोल्डर बनाये जाकर तीनों फोल्डरों में मैमोरी कार्डा पर अंकित मार्का के अनुसार ऑडियो फाइल्स मय फोल्डर के डाला गया तत्पश्चात लेपटॉप की सहायता से ही एक सीडी तैयार की गई। उक्त सीडी की सहायता से 7 सीडी और तैयार की गई। मूल सीडी एवं 6 मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं 6 मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की पृथक-पृथक थैली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैलियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। माईक्रो एमडी कार्डो को पृथक पृथक से प्लास्टिक की डिब्बीयों में रख कर उक्त डिब्बीयों पर क्रमशः एम, एम-1, एम-2, मार्क अंकित कर उक्त तीनों डिब्बियों को एक कपडे की थैली में रखकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " एम-3 " अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व 06 मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्डों को सुरक्षित रखा गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 01.20 पी.एम पर दिनांक 07.09.2025, 08.09.2025 व 09.09.2025 एवं 10.09.2025 को परिवादी अभिषेक कुमार व आरोपीगण आयुक्त अशोक कुमार शर्मा, प्रिया कुमारी एईएन, नीरज शर्मा वरिष्ठ सहायक, भारत परमार वरिष्ठ सहायक/कैशियर व देवेन्द्र कुमार शर्मा ड्राइवर कम पम्प ऑपरेटर के मध्य मोबाईल पर एवं आमने सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं आई/ओ सीडी से रिकार्ड वार्ताओं की एमपी-3 फाईलों का एफटीके इमेजर साफ्टवेयर द्वारा बारी-बारी से हैश वैल्यू MD5 व SHA1 में निकाली जाकर हैश वैल्यू का पृथक-पृथक से प्रिन्ट आउट लिये जाकर, प्रिन्ट आउटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 01.25 पीएम पर श्री रीतरामसिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री जोगेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती शगुन महिला कानि0 व संतोष कुमार हैड कानि0 मय सरकारी वाहन मय आरोपीगणों के स्वास्थ्य परीक्षण की तहरीर देकर रवाना कर हिदायत की गई कि आप सभी आरोपीगणों को पुलिस थाना निहालगंज से लेकर नगर परिषद धौलपुर कार्यालय पहुंचे। बाद हिदायत रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 01.30 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहन मय श्री दिलीप कानि0 610 मय लैपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी गाडी मय चालक कल दिनांक 11.09.2025 को कब्जे शुदा तिजोरी की चाबी को लेकर चाबी को सुपुर्द करने हेतु नगर परिषद कार्यालय धौलपुर रवाना होकर कुछ समय पश्चात नगर परिषद धौलपुर पहुंचा। तत्पश्चात समय 01.50 पी.एम पर गवाहों के समक्ष परिवादी श्री अभिषेक कुमार द्वारा दिनांक 11.09.25 को कैशियर भारत परमार वरिष्ठ सहायक को 50 हजार रिश्वत राशि दी गई थी जो आरोपी कैशियर

भारत परमार वरिष्ठ सहायक द्वारा अपने कक्ष में रखी तिजोरी में छुपा के रखी गई थी जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई थी। बाद रिश्वत राशि बरामदगी के तिजोरी का ताला लगाकर तिजोरी की चाबी जो बाद गिरफ्तारी आरोपी भारत परमार से कब्जा एसीबी ली गई थी को आज दिनांक 12.09.25 तिजोरी को,आरोपी भारत परमार, परिवादी , गवाहान एवं आयुक्त अशोक कुमार शर्मा एक्सईएन श्री गुमान सिंह नगर परिषद धौलपुर की मौजूदगी में खुलवाकर कैश की गणना करवाई तो तिजोरी में रखी कुल राशि 4,83,555/-रूपये होना पाई गई जिसके सम्बंध में भारत परमार कैशियर ने बताया कि यह सरकारी राशि है। उक्त राशि को वापस तिजोरी में रखकर तिजोरी की चाबी एक्सईएन श्री गुमानसिंह को संभलाई गई एवं कैशियर कक्ष में टेबल पर रखी एयू बैंक की चैकबुक जो खाता संख्या 2181249132505193 नगर परिषद धौलपुर के नाम जारी की गई है जिसमें चैक सं. 000576 से 000600 तक हैं। जिसमें चैक संख्या 000576 परिवादी की फर्म मानवी एसोसिएट्स के नाम तेरह लाख पन्द्रह हजार सत्यासी (13,15,087) रूपये दिनांक 11.09.2025 को जारी किया हुआ है जिस पर हस्ताक्षर नही हैं, उक्त चैक की प्रमाणित फोटोप्रति कराकर कब्जा एसीबी ली गई एंव मूल चैक बुक चैक सं. 000576 लगायत 000600 को एक्सईएन श्री गुमानसिंह को संभलाई गई एवं आयुक्त अशोक कुमार शर्मा को नियमानुसार परिवादी के बिल भुगतान करने की हिदायत की गई। फर्द सुपुर्दगी चाबी पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। श्री रीतराम सहायक उपनिरीक्षक को हिदायत दी गई आप आरोपीगणों का स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए सीधे ही एसीबी चौकी धौलपुर पहुंचे। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहन मय श्री दिलीप कानि0 610 मय लैपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी गाडी मय चालक अग्रिम कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी धौलपुर रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 02.40 पी. एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहन मय श्री दिलीप कानि0 610 मय लैपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी गाडी मय चालक के बाद सुपुर्दगी तिजोरी चाबी के एसीबी कार्यालय धौलपुर आया तत्पश्चात समय 02.50 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री अवधेश हैड कानि0 68 को निर्देशित किया कि आप सरकारी गाडी टवेरा को लेकर एसीबी चौकी धौलपुर पहुंच तत्पश्चात समय 03.10 पीएम पर श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय हमराही जाप्ता मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण को बाद कराकर स्वास्थ्य परीक्षण एसीबी चौकी धौलपुर उपस्थित आये। आरोपीगणों को जाप्ता की निगरानी बिठाया गया। तत्पश्चात समय 04.50 पी.एम पर श्री अवधेश हैड कानि0 68 मय सरकारी गाडी टवेरा को लेकर एसीबी चौकी धौलपुर उपस्थित आया। तत्पश्चात समय 05.00 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में गिरफ्तार शुदा आरोपीगण प्रिया कुमारी एईएन, नीरज शर्मा वरिष्ठ सहायक, देवेन्द्र कुमार शर्मा ड्राइवर कम पम्प ऑपरेटर, भारत परमार वरिष्ठ सहायक/कैशियर, हरेन्द्र गुर्जर संविदाकर्मी को 24 घण्टे से पूर्व सक्षम न्यायाधीश के समक्ष पेश करना कानूनी प्रावधान है अतः मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त आरोपीगण; हमराही परिवादी , स्वतंत्र गवाहन, ट्रेप टीम व कार्यवाही में जप्त शुदा माल मुताबिक फर्दात, रिश्वत राशि 3 लाख 10 हजार रूपये, धोवन की शील्ड शीशीयां कुल-14, रिश्वत मांग सत्यापन की शील्ड मूल एवं मुल्जिम प्रति सीडियां व शील्ड मैमोरी कार्ड, लैपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स, वाइस रिकार्डर मय एसडी कार्ड जिसमें लेन-देन वार्ता रिकार्ड है, मय निजी व सरकारी वाहनों के गिरफ्तार शुदा आरोपीगण को सक्षम न्यायाधीश के समक्ष उसके आवास पर गिरफ्तार शुदा आरोपीगणों की 15 दिवस न्यायिक अभिरक्षा लेने हेतु भरतपुर रवाना होता हूं। अग्रिम कार्यवाही मुल्जिमों को न्यायालय में पेश करने के बाद की जावेगी। तत्पश्चात समय 06.20 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण प्रिया कुमारी एईएन, नीरज शर्मा वरिष्ठ सहायक, देवेन्द्र कुमार शर्मा ड्राइवर कम पम्प ऑपरेटर, भारत परमार वरिष्ठ सहायक/कैशियर, हरेन्द्र गुर्जर संविदाकर्मी मय, हमराही परिवादी , स्वतंत्र गवाहन, ट्रेप टीम व कार्यवाही में जप्त शुदा माल मुताबिक फर्दात, रिश्वत राशि 3 लाख 10 हजार रूपये, धोवन की शील्ड शीशीयां कुल-14, रिश्वत मांग सत्यापन की शील्ड मूल एवं मुल्जिम प्रति सीडियां व शील्ड मैमोरी कार्ड, लैपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स, वाइस रिकार्डर मय एसडी कार्ड जिसमें लेन-देन वार्ता रिकार्ड है, मय निजी व सरकारी वाहनों के अवकाशकालीन ड्यूटी मजिस्टेट के आवास पर पहुंचा तो मजिस्टेट महोदया ने बताया कि मै न्यायिक अभिरक्षा देने के लिए अधिकृत नहीं हूं श्रीमान डीजे साहब ही न्यायिक अभिरक्षा दे सकते हैं इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण, परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व टीम सदस्यों के सरकारी व निजी वाहनों के रवाना हो माननीय डीजे साहब के सरकारी आवास पर पहुंचा। जहां माननीय डीजे साहब ने गिरफ्तार शुदा आरोपीगण प्रिया कुमारी एईएन, नीरज शर्मा वरिष्ठ सहायक, देवेन्द्र कुमार शर्मा ड्राइवर कम पम्प ऑपरेटर, भारत परमार वरिष्ठ सहायक/कैशियर, हरेन्द्र गुर्जर संविदाकर्मी को 15 दिवस न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत फरमाया। बाद लेकर 15 दिवस न्यायिक अभिरक्षा माननीय डीजे साहब के आवास से रवाना होकर एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुंचा। जहां पर कार्यवाही के दौरान जप्त शुदा आर्टिकल रिश्वत राशि 3 लाख 10 हजार रूपये, धोवन की शील्ड शीशीयां कुल-14, रिश्वत मांग सत्यापन की शील्ड मूल एवं मुल्जिम प्रति सीडियां व शील्ड मैमोरी कार्ड, शील्ड पेन्ट पैकिट को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार को दुरूस्त हालात में समलाया जाकर जमा मालखाना कराया गया। आरोपीगणों को कार्यालय में जाप्ता की निगरानी में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 09.20 पी.एम पर श्री रीतराम सिंह स0उ0नि0 श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 68, श्री कपिल कानि0, श्रीमती शगुन म0कानि0 श्री सुरेश कानि, श्री सत्येन्द्र कानि0 मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण प्रिया कुमारी एईएन, नीरज शर्मा वरिष्ठ सहायक, देवेन्द्र कुमार शर्मा ड्राइवर कम पम्प ऑपरेटर, भारत परमार वरिष्ठ सहायक/कैशियर, हरेन्द्र गुर्जर संविदाकर्मी मय

न्यायिक अभिरक्षा आदेश मय टवेरा गाडी के वास्ते कराने आरोपीगण को जेल दाखिल केन्द्रीय कारागृह सेवर, भरतपुर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 10.15 पी.एम पर श्री रीतराम सिंह स0उ0नि0 मय हमराही जाप्ता मय सरकारी वाहन टवेरा के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा आरोपीगण को जेल दाखिल कराकर वापस आया। रिश्वत लेन देन वार्ता का रूपान्तरण सुबह तैयार किया जावेगा। अतः दोनो स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 13.09.2025 को समय 08.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया तथा परिवादी अभिशेक कुमार को कार्यालय में रूकने की हिदायत की गयी। तत्पश्चात दिनांक 13.09.2025 समय 08.15 ए.एम पर पाबन्द शुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान पवन कुमार व अभिमन्यु उपस्थित कार्यालय आये जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 08.30 ए.एम पर दिनांक 11.09.2025 को हुई ट्रेप कार्यावाही के दौरान आरोपीगण व परिवादी के मध्य हुई वार्ताऐं रिकार्ड है के वॉईस रिकॉडर कार्यालय कम्प्यूटर जिसमें एन्टीवायरस डला हुआ है के द्वारा स्कैन किया गया तो उक्त वॉइस रिकॉडर में कोई भी वायरस व मालवेयर नहीं पाया गया। वॉइस रिकॉडर में रिकार्ड वार्ताओं की ऑडियों फाईलों का एफटीके इमेजर साफ्टवेयर द्वारा हैश वैल्यू MD5 व SHA1 में निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट आउट लिये जाकर, प्रिन्ट आउट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 08.40 ए.एम पर दिनांक 11.09.2025 को हुई ट्रेप कार्यावाही के दौरान को परिवादी अभिषेक कुमार व आरोपीगण प्रिया कुमारी एईएन, नीरज शर्मा वरिष्ठ सहायक, भारत परमार वरिष्ठ सहायक/कैशियर व देवेन्द्र कुमार शर्मा ड्राइवर कम पम्प ऑपरेटर व हरेन्द्र गुर्जर संविधाकर्मी के मध्य हुई रिश्वत लेने देन वार्ता जिनको परिवादी द्वारा वॉइस रिकॉडर में रिकार्ड किया गया था। रिकॉर्ड वार्तालापों की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ताओं को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद तैयार किया गया। सीडी की और 7 सीडी तैयार की गई। मूल सीडी एवं 6 मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " बी " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं 6 मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। वॉइस रिकॉडर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकाल कर प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी एक कपडे की थैली में रखकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " एम-4" अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व 06 मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी अवधेश कुमार हैड कानि0 को दुरूस्त हालात में समलाकर जमा माल खाना करवाया गया। आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 01.30 पी.एम पर परिवादी अभिषेक कुमार व आरोपीगण प्रिया कुमारी एईएन, नीरज शर्मा वरिष्ठ सहायक, भारत परमार वरिष्ठ सहायक/कैशियर व देवेन्द्र कुमार शर्मा ड्राइवर कम पम्प ऑपरेटर, हरेन्द्र गुर्जर के मध्य हुई रिश्वत लेन देन वार्ताओं की आई/ओ सीडी से रिकार्ड वार्ताओं की ऑडियो फाईलों का एफटीके इमेजर साफ्टवेयर द्वारा हैश वैल्यू MD5 व SHA1 में निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट आउट लिये जाकर, प्रिन्ट आउट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 01.40 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री रितेश कुमार कानि. नं. 64 द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी की विभागीय वीडियो कैमरा द्वारा कराई गई वीडियोग्राफी की दो सीडी तैयार की जाकर सीडीयों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराये जाकर एक सीडी को सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर शील्ड मौहर किया जाकर मार्क 'वी' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं दूसरी सीडी को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। शील्ड सीडी को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैडकानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। फर्द रिश्वत राशि बरामदगी वीडियोग्राफी पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात समय 02.20 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की 71 नम्बरी सील जिस पर ACB BHARATPUR लिखा हुआ है, को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर नष्ट किया जाकर फर्द नष्ट नमूना मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दोनो गवाहों एवं परिवादी को बाद हिदायत कार्यालय से रूखसत किया गया। अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री अभिषेक कुमार की पत्नि श्रीमती गौरा शर्मा जो कि राजकीय संवेदक हैं जिनकी फर्म का नाम मानवी एसोसिएट्स है , जिसके द्वारा जिला धौलपुर में नगर परिषद धौलपुर के अन्तर्गत जल निकासी का कार्य गत वर्ष किया गया था। उक्त कार्य का 13,15,087 रूपये का भुगतान आयुक्त के पास लंबित था जिसमें की कैशियर द्वारा उक्त बकाया राशि का चैक भरा जाकर आयुक्त से हस्ताक्षर करवाकर सभापति के पास भेजा जाना था। उक्त भुगतान करने की एवज में दिनांक 08.09.25 को अशोक कुमार आयुक्त नगर परिषद धौलपुर द्वारा परिवादी के मिलने पर कार्य की जानकारी लेकर अगले दिन मिलने की कहना एवं आरोपिता प्रिया कुमारी एईएन द्वारा भुगतान कराने के लिये आयुक्त से बात होने के संबध में परिवादी से पूछना , परिवादी द्वारा आयुक्त से स्वयं बात करने की कहने पर आरोपिता प्रिया कुमारी एईएन द्वारा स्वयं के लिए 70,000 रूपये की मांग कर 60,000 रूपये लेने पर सहमत होना एवं परिवादी द्वारा आरोपी भारत परमार कैशियर से बात करने पर आयुक्त से बात होने के संबध में परिवादी से पूछना, परिवादी द्वारा आयुक्त से स्वयं बात करने की कहने पर आरोपी भारत परमार कैशियर द्वारा इशारे में स्वयं के लिए 50,000 रूपये रिश्वत की मांग करना तथा परिवादी के 50 हजार बोलने पर हॉं करना तथा

अगले दिन दिनांक 09.10.25 को अशोक कुमार शर्मा आयुक्त नगर परिषद धौलपुर के चालक आरोपी देवेन्द्र कुमार शर्मा से परिवादी द्वारा जरिये मोबाईल आयुक्त के बारे में पूछने पर मिलकर बात करने के लिए कहना एवं मिलने पर आरोपी देवेन्द्र कुमार चालक द्वारा यह बताना कि दिनांक 08.09.25 को उसकी आरोपी नीरज शर्मा के समक्ष आयुक्त अशोक कुमार शर्मा से 2 लाख रूपये रिश्वत के संबंध में बात हो गई है एवं आयुक्त के नाम से 02 लाख रूपये रिश्वत की मांग करना व भारत परमार कैशियर के नाम पर 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग करना एवं 20 हजार रूपये रसीद के लिए मांगना कुल 2 लाख 70 हजार रूपये की मांग करना, निवेदन करने पर 02 लाख 50 हजार रूपये लेने पर सहमत होना एवं दिनांक 10.09.25 को आरोपी देवेन्द्र कुमार द्वारा परिवादी से पूर्व की 02 लाख रूपये की मांग को दोहराना एवं आरोपी नीरज शर्मा से जरिये फोन वार्ता कर रिश्वत राशि 02 लाख रूपये आयुक्त व 50 हजार रूपये भारत परमार कैशियर के संबंध में बताकर आयुक्त मे परिवादी के भुगतान का चैक हाथो हाथ ले जाने की कहकर परवादी की वार्ता कराना उक्त वार्तालाप परिवादी के मोबाईल नम्बर से आरोपी देवेन्द्र के मोबाईल नम्बर हुई थी एवं दिनांक 10.09.25 को आरोपी भारत परमार द्वारा रिश्वत राशि 50 हजार रूपये देवेन्द्र को न देकर स्वंय को देने के लिए कहना एवं उक्त मॉग के अनुशरण में दौराने कार्यवाही दिनांक 11.09.25 को आरोपी देवेन्द्र कुमार को 02 लाख एवं आरोपिता प्रिया झा द्वारा रिश्वत राशि 60 हजार रूपये आरोपी हरेन्द्र गुर्जर संविधाकर्मी को दिलाना एवं रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडना एवं आरोपी भारत परमार द्वारा रिश्वत राशि 50 हजार रूपये लेकर अपने कक्ष में रखी तिजोरी में रखना जहाँ से रिश्वत राशि बरामद हुई कार्यवाही में दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं में परिवादी का आयुक्त अशोक कुमार शर्मा से मिलना व आयुक्त के द्वारा बाद में मिलने की कहना तथा परिवादी का दुबारा आयुक्त के निवास पर मिलने जाने पर आयुक्त निवास पर देवेन्द्र कुमार शर्मा का मिलना व वार्ता होना तथा देवेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा वक्त रिश्वत लेन देन वार्ता के दौरान परिवादी से अपने हिसाब के बारे में वार्ता करने पर परिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से यह कहना कि "वू अपनो हिसाब अलग है बाकी टेंशन मत ले " इस पर आरोपी देवेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा कहना कि "समझ अपने अन्दर वू नहीं कि गलत फेहमी हो" आदि वार्ता जिस संदर्भ में हो रही है उससे यह स्पष्ट है कि देवेन्द्र कुमार शर्मा जो रिश्वत राशि 02 लाख रूपये की मांग की गई व प्राप्त की गई और वार्ता के दौरान भारत द्वारा चैक काटने की बोल कर आने की बात करना व रिश्वत राशि को घर पहुंचवाने की कहना आदि वार्ताओं मे प्रतीत होता है कि जो रिश्वत राशि देवेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा मांगी जा रही थी और जो प्राप्त की वह आयुक्त अशोक कुमार शर्मा के कहने पर परिवादी के लम्बित भुगतान का चैक जारी करवाने की एवज में थी। आरोपीगण(1) अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री ग्यारसी लाल शर्मा उम्र 45 साल जाति ब्राहम्ण निवासी गांव भोजवाडा पुलिस थाना कोलवा जिला दौसा हाल आयुक्त नगर परिषद धौलपुर की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है जो विस्तृत अनुसंधान से स्पष्ट की जावेगी (2) प्रिया कुमारी पुत्री श्री ब्रह्मानंद झा जाति ब्राहम्ण उम्र 31 साल निवासी गांव कबीलपुर पुलिस थाना लेहरीसराय जिला दरभंगा बिहार हाल निवासी जीविका अपार्टमेंट, बंगाई गांव, पुलिस थाना व जिला बंगाई गांव असम हाल निवासी मं. नं. 419 कृष्णा कोलोनी बाडी रोड धौलपुर हाल सहायक अभियंता (सिविल) नगर परिषद धौलपुर दिनांक 11.09.2025 को परिवादी से संविदाकर्मी हरेन्द्र गुर्जर को 60 हजार रूपये रिश्वत के रूप में दिलवाना। रिश्वत राशि संविदाकर्मी हरेन्द्र गुर्जर की पहनी हुई पेंट की दांयी तरफ की जेब से बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) (3) हरेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री दिलीप गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 33 साल निवासी मानपुर पुलिस थाना कैलोरी जिला धौलपुर हाल निवासी कमला कोलोनी पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल संविदाकर्मी नगर परिषद धौलपुर श्रीमति प्रिया कुमारी सहायक अभियंता नगर परिषद धौलपुर के कहने पर रिश्वत राशि 60 हजार रूपये प्राप्त कर अपने पहनी हुई पेन्ट की दांयी जेब में रखना जंहा से रिश्वत राशि बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7ए,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) (4) भारत परमार पुत्र श्री राजकुमार परमार उम्र 26 साल जाति ठाकुर निवासी डॉक्टर बीना गोयल नर्सिंग होम के पास पटपरा रोड धौलपुर पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर जिला धौलपुर हाल वरिष्ठ सहायक एवं कैशियर नगर परिषद धौलपुर रिश्वत राशि 50 हजार रूपये प्राप्त कर अपने कक्ष में तिजोरी में रखना जंहा से रिश्वत राशि बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) (5) नीरज शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद शर्मा उम्र 34 साल जाति ब्राहम्ण निवासी सिंचाई विभाग के सामने कमला कोलोनी बाडी रोड पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय नगर परिषद धौलपुर का परिवादी का भुगतान कराने की एवज में आयुक्त अशोक कुमार शर्मा व भारत परमार कैशियर के नाम से देवेन्द्र कुमार शर्मा ड्राईवर के साथ मिलकर 02.50 लाख रूपये रिश्वत की मांग करना व उक्त राशि देवेन्द्र कुमार ड्राईवर को देने के लिए कहना एवं दिनांक 11.09.2025 को भारत परमार को रिश्वत राशि 50 हजार रूपये दिलवाने का उक्त कृत्य धारा 7,7ए,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) (6) देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामनिवास शर्मा उम्र 35 साल निवासी ग्राम वीरपुर पोस्ट बरीपुरा पुलिस थाना बसई डांग जिला धौलपुर हाल ड्राइवर कम पम्प ऑपरेटर अग्निशमन कार्यालय धौलपुर अतिरिक्त चार्ज सहायक मैकेनिकल नगर परिषद धौलपुर का उक्त कृत्य धारा 7,7ए,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने व समस्त आरोपीगणों द्वारा परिवादी से आयुक्त अशोक कुमार शर्मा से लम्बित भुगतान के चैक व रिश्वत के संबंधी वार्ता होने के संबध में पूछना और आरोपी देवेन्द्र

कुमार शर्मा व नीरज शर्मा परिवादी को यह आसवासन देना कि आयुक्त साहब के आपका भुगतान करा देगें तथा परिवादी का कार्य आयुक्त अशोक कुमार नगर परिषद धौलपुर के पास लम्बित होना एवं आरोपी देवेन्द्र कुमार ड्राईवर द्वारा आयुक्त के नाम से 02 लाख रूपये रिश्वत की माँग से आयुक्त अशोक कुमार शर्मा नगर परिषद धौलपुर की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है जो विस्तृत अनुसंधान से स्पष्ट की जावेगी। उपरोक्त आरोपीगणों के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है। (अमित सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर। ....कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) में आरोपीगण (1) अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री ग्यारसी लाल शर्मा उम्र 45 साल जाति ब्राहम्ण निवासी गांव भोजवाडा पुलिस थाना कोलवा जिला दौसा हाल आयुक्त नगर परिषद धौलपुर (2) प्रिया कुमारी पुत्री श्री ब्रह्मानंद झा जाति ब्राहम्ण उम्र 31 साल निवासी गांव कबीलपुर पुलिस थाना लेहरीसराय जिला दरभंगा बिहार हाल निवासी जीविका अपार्टमेंट, बंगाई गांव, पुलिस थाना व जिला बंगाई गांव असम हाल निवासी मं. नं. 419 कृष्णा कोलोनी बाडी रोड धौलपुर हाल सहायक अभियंता (सिविल) नगर परिषद धौलपुर (3) हरेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री दिलीप गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 33 साल निवासी मानपुर पुलिस थाना कैलोरी जिला धौलपुर हाल निवासी कमला कोलोनी पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल संविदाकर्मी नगर परिषद धौलपुर (4) भारत परमार पुत्र श्री राजकुमार परमार उम्र 26 साल जाति ठाकुर निवासी डॉक्टर बीना गोयल नर्सिंग होम के पास पटपरा रोड धौलपुर पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर जिला धौलपुर हाल वरिष्ठ सहायक एवं कैशियर नगर परिषद धौलपुर (5) नीरज शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद शर्मा उम्र 34 साल जाति ब्राहम्ण निवासी सिंचाई विभाग के सामने कमला कोलोनी बाडी रोड पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय नगर परिषद धौलपुर (6) देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामनिवास शर्मा उम्र 35 साल निवासी ग्राम वीरपुर पोस्ट बरीपुरा पुलिस थाना बसई डांग जिला धौलपुर हाल ड्राइवर कम पम्प ऑपरेटर अग्निशमन कार्यालय धौलपुर अतिरिक्त चार्ज सहायक मैकेनिकल नगर परिषद धौलपुरके विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई।उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ज्ञान सिंह चौधरी,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 293 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1351-56 दिनांक 16.09.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर, 2.निदेशक,स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3-निदेशक,स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर 4- आयुक्त,नगर परिषद, धौलपुर 5-उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 6.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** GYAN SINGH CHOUDHARY **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]9/2025 1[illegible]3

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1980				
2	Female	17/11/1993				
3	Male	20/11/1993				
4	Male	30/07/1999				
5	Male	15/07/1991				
6	Male	08/12/1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)